



भारत सरकार
Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबन्धित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2025-26) की तैंतीसवीं रिपोर्ट, 18वीं लोक सभा की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में
माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY HON'BLE SH. PANKAJ CHAUDHARY, MINISTER OF STATE (FINANCE) IN THE RAJYA SABHA REGARDING
THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS – 33RD REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON
FINANCE (2025-26), 18TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE.**

जुलाई, July, 2026

विषय- सूची		INDEX	
क्रम संख्या	विषय वस्तु	SI No.	Page No.
1.	श्री पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य	1. Statement by Sh. Pankaj Chaudhary, Minister of State (Finance)	i
2.	अनुबंध - दिनांक 17 मार्च, 2026 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्यम तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति विभाग) की 2026 - 27 की अनुदानों की मांगों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति की तैंतीसवीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गयी कार्यवाई रिपोर्ट।	2. Annexure - Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 33 rd Report of the Standing committee on Finance on Demands for Grants 2026 - 27 of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Public Enterprises & Investment and Public Asset Management) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 17 th March, 2026.	45 - 82

राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमावली के नियम 266 के तहत दिनांक 24 सितंबर, 2004 को राज्य सभा के सभापति के निर्देश के अनुसरण में अनुदान मांगों (2026-27) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) की 33वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वित्त राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी द्वारा दिनांक 28.07.2026 को राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य। मैं, राज्य सभा के माननीय सभापति के निर्देश के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) की 33वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानता हूं। वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों (2026-27) की जांच से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोकसभा) की 33वीं रिपोर्ट 17 मार्च 2026 को राज्य सभा में पेश की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। मांग संख्या - 30(आर्थिक कार्य विभाग), 31(व्यय विभाग), 33(सार्वजनिक उद्यम विभाग), 34(निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग), 38(भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग), 39(ब्याज भुगतान), 40(ऋण पुनर्भुगतान), 41(पेंशन), 42(राज्यों को अंतरण), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) तथा अवसंरचना विकास, समावेशी एवं सतत विकास, व्यापक आर्थिक मुद्दे और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के लिए आवास अवसंरचना को सुदृढ़ करने के संबंध में समिति द्वारा तेरह (13) सिफारिशें की गई। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई है। समिति द्वारा अपनी 33वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक में दी गई है। मैं अनुलग्नक की विषय-वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।	STATEMENT BY SHRI PANKAJ CHAUDHARY, MINISTER OF STATE (FINANCE), IN THE RAJYA SABHA ON 28.07.2026 REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATION CONTAINED IN THE 33rd REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (18TH LOK SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS (2026-27) IN PURSUANCE OF THE DIRECTION OF THE CHAIRMAN, RAJYA SABHA DATED 24TH SEPTEMBER, 2004 UNDER RULE 266 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES. I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendation contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Finance (18th Lok Sabha) relating to Department of Economic Affairs, Expenditure, Public Enterprises & Investment and Public Asset Management in pursuance of the Direction of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha. The 33rd Report of the Standing Committee on Finance (18th Lok Sabha) relating to examination of Demands for Grants (2026-27) of Ministry of Finance was presented on 17 March 2026 in Lok Sabha. In their Report, the Committee deliberated on various issues. Thirteen (13) recommendations were made by the Committee pertaining to Demand No. - 30 (Department of Economic Affairs), 31 (Department of Expenditure), 33 (Department of Public Enterprises), 34 (Department of Investment and Public Asset Management), 38 (Indian Audit and Accounts Department) 39(Interest Payment), 40(Repayment of Debts), 41(Pensions), 42(Transfer to States), SME and Infrastructure Development, Inclusive and Sustainable Growth, Macroeconomics Issues and Strengthening Housing Infrastructure for the Securities Appellate Tribunal (SAT). Action Taken Report on the recommendations/observations contained in the Report has been sent to the Standing Committee on Finance. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in its 33rd Report is indicated in the Annexure. I would further not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure and request that this may please be taken as read.
---	---

वित्त मंत्रालय के संबंध में 17.03.2026 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा पटल पर रखी गयी, वित्त संबंधी स्थाई समिति की 33वीं रिपोर्ट (18वीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई सिफारिश कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	टिप्पणियाँ
1.	समिति मांग संख्या 30 के लिए बजटीय आवंटन में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक विरोधाभास पाती है ,जहां ₹1,31,327.37 करोड़ के कुल आवंटन में-जो मूल की मांग की तुलना में 62 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है-राजस्व खंड में 685.11₹ करोड़ की महत्वपूर्ण कमी को छिपाया गया है। जबकि पूंजी खंड को 51,0098.57₹ करोड़ का विशाल अधिशेष प्राप्त हुआ है ,फिर भी राजस्व में यह कमी वेतन और प्रशासन समेत कई आवश्यक परिचालन लागत को प्रभावित कर सकती है। साक्ष्य के दौरान आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के सचिव ने स्पष्ट किया कि यह असंतुलित आवंटन गैर-विवेकाधीन पूंजीगत दायित्वों के कारण है ,विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की 16 वीं सामान्य कोटा समीक्षा के लिए 68,230₹ करोड़ का प्रावधान - जो 85 प्रतिशत वैश्विक सहमति की शर्त पर निर्भर है ,जबकि वर्तमान में यह 76.37 प्रतिशत है - तथा प्रौद्योगिकी - केंद्रित ₹49 600,करोड़ के राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना जो रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किए जा सके। अतः समिति सिफारिश करती है कि डीईए संशोधित अनुमान (आरई)के चरण में राजस्व अंतर को	इस संबंध में, यह बताया गया है कि अनुदान संख्या 30 के राजस्व भाग में ₹685.11 करोड़ की कमी से वेतन और प्रशासन सहित आवश्यक परिचालन लागतों पर कोई जोखिम नहीं है। यह कमी मुख्य रूप से 'भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना' (आईडीईएएस) के लिए विभाग द्वारा अनुमानित राशि से कम निधि आवंटित किए जाने के कारण हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व-बजट बैठकों के समय इस योजना के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि अगले वित्त आयोग चक्र के तहत इस योजना को जारी रखने के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने आईडीईएएस योजना के तहत, यह दर्शाते हुए कि इस कमी को संशोधित अनुमान 2026-27 के समय पूरा कर लिया जाएगा; बजट में कटौती कर दी, तब तक आईडीईएएस योजना के अगले वित्त आयोग चक्र के तहत जारी रहने का मूल्यांकन पूरा हो चुका होगा। अतः, यह कहा गया है कि अनुदान संख्या 30 के राजस्व भाग में यह कमी विभाग के आवश्यक सेवाओं के संचालन तथा उसके परिचालन और कार्यनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालती है। इसके अतिरिक्त, संशोधित अनुमान (आरई) चरण पर राजस्व अंतर को दूर करने को प्राथमिकता देने के संबंध में समिति की सिफारिश का ध्यान रखा जाएगा।	स्वीकृत	---

	पाटने को प्राथमिकता दे ,ताकि प्रशासनिक स्थिरता और प्रभावी शासन सुनिश्चित किया जा सके। इस कमी को दूर करना न केवल आवश्यक सेवाओं के निर्बाध कामकाज को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है ,बल्कि कर्मचारियों के मनोबल और संस्थागत दक्षता को बनाए रखने के लिए भी अति आवश्यक है। राजस्व आवंटन का समय पर पुनर्मूल्यांकन विभाग को परिचालन और कार्यनीतिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा ,जिससे यह सुनिश्चित होगा कि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और प्रतिबद्धताओं को बिना किसी व्यवधान के निष्पादित किया जाए।			
2.	समिति नोट करती है बजट अनुमान) बीई 27-2026 (के लिए व्यय विभाग को कुल ₹316.10 करोड़ का आवंटन किया गया है ,जो प्रारम्भ में प्रस्तावित ₹500.75 करोड़ की आवश्यकता की तुलना में काफी कम है। समिति यह पाती है कि“ वेतन ”मद को प्रस्तावित ₹85.00 करोड़ के मुकाबले घटाकर ₹80.50 करोड़ कर दिया गया है ,जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान यदि विभाग अपनी वर्तमान रिक्तियों को भरने में सफल होता है तो गंभीर परिचालनगत बाधाएँ तथा वित्तीय दबाव उत्पन्न हो सकते हैं ,इसके अतिरिक्त ,समिति पाती है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (UCs) की उच्च लंबितता तथा व्यय में रीयल टाइम विजिबिलिटी के अभाव के कारण प्रायः अंतिम तिमाही में निधियों का अप्रभावी“ बंचिंग ”हो जाता है ,जिससे सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता तथा रणनीतिक वित्तीय योजना प्रभावित होती	इस संबंध में यह बताया गया है कि व्यय विभाग को शुरुआत में प्रस्तावित ₹562.49 करोड़ की आवश्यकता की तुलना में कुल ₹525.53 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए “वेतन” शीर्ष में ₹113.93 करोड़ की मांग प्रस्तावित की गई थी, जो पदोन्नति और कुछ रिक्तियों पर नई नियुक्ति की आवश्यकता के अनुरूप थी। हालांकि, पिछले वर्षों के व्यय रुझानों के आधार पर “वेतन” शीर्ष के अंतर्गत ₹98.75 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। समिति की टिप्पणियों को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है और यह बताया गया है कि, चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी संभावित भर्ती की स्थिति में, बजटीय प्रक्रियाओं के अनुसार आवंटन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पीएफएमएस अब सभी 31 राज्यों और विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कोषागारों के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जबकि बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश पीएफएमएस का उपयोग करके केंद्र सरकार के बजट के तहत काम कर रहे हैं। ये एकीकरण निधि के उपयोग और व्यय को केंद्र सरकार के मंत्रालयों,	स्वीकृत	

है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि“ उपयोगिता प्रमाण-पत्र ”(यूसी) अनुपालन को पूर्णतः और कठोरता से लागू किया जाए तथा आगामी केंद्रीय निधियों की किश्तों के निर्गमन से पूर्व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए “नो-यूसी ,नो-रिलीज़ (“नो-यूसी ,नो-रिलीज) नीति अपनाई जाए। समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि विभाग सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के दायरे का जोर-शोर से विस्तार करते हुए इसे“ अंतिम स्तर ”तक पहुँचाए तथा राज्य- स्तरीय कोषागारों के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करे ,ताकि निधियों के उपयोग की रिपोर्टिंग में समय-अंतराल राजस्व-स्तरीय कोषागारों के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करे ,ताकि निधियों के उपयोग की रिपोर्टिंग में समय-अंतराल समाप्त किया जा सके। केवल वित्तीय व्यय से आगे बढ़ते हुए समिति यह भी सिफारिश करती है की विभाग अपने“ परिणाम-आधारित बजटिंग ”ढाँचे को सुदृढ़ करे तथा सभी मंत्रालयों में आंतरिक लेख-परीक्षा इकाइयों की क्षमता को बढ़ाए , ताकि व्यय की गई प्रत्येक राशि मापनीय विकासात्मक परिणामों में परिवर्तित हो सके।	विभागों, राज्य कोषागारों और राज्य विभागों को वास्तविक समय पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे विलंबित रिपोर्टिंग और अक्षम निधि एकत्रीकरण की समस्याओं का सीधा समाधान होता है। इसके अलावा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से जस्ट-इन-टाइम रिलीज द्वारा व्यय की वास्तविक समय निगरानी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस ढाँचे को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) और हाइब्रिड टीएसए मॉड्यूल के माध्यम से और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एकल नोडल खाता- समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (एसएनए-स्पर्श) मॉड्यूल के माध्यम से संचालित किया गया है। एसएनए-स्पर्श तंत्र एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाकर अंतिम-छोर तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें निधि जारी करने को दैनिक संचित दावों और चालानों के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाता है और धन सीधे लाभार्थी/विक्रेता खाते में जमा किया जाता है। विभिन्न प्रणालियों के इन सुधारों और एकीकरण से न केवल राजकोषीय अनुशासन में सुधार होता है, बल्कि मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक धन लक्षित लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पहुंचता है। वर्ष 2019 से, भारत सरकार के केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की परिणाम - आधारित निगरानी में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग के माध्यम से एक कठिन वार्षिक अभ्यास कर रही है। संबंधित योजनाओं के मुख्य संकेतकों के साथ-साथ, संबंधित मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से प्रमुख निर्गम और परिणामों की पहचान की जाती है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। अब	
--	--	--

		तक, गैर-योजनाबद्ध व्यय और स्थापना व्यय की निगरानी आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के दायरे से बाहर है। ओओएमएफ की प्रभावशीलता में सुधार के लिए, व्यय विभाग और नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं। i. 16वें वित्त आयोग चक्रों के दौरान योजनाओं को जारी रखने के लिए ईएफसी की बैठकों में, उपलब्धियों के साथ-साथ ईएफसी द्वारा ओओएमएफ संकेतकों और लक्ष्यों की समीक्षा की जाती है ii. किसी भी कमी के अंतर्निहित कारणों को समझने और उनका आकलन करने और उनमें सुधार करने के लिए नीति आयोग द्वारा वार्षिक ओओएमएफ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें संकेतकों, कार्यान्वयन में मुद्दों और वित्तीय दक्षता पर संरचित चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करती हैं। iii. चूंकि यह अनुभव किया गया है कि ओओएमएफ की वार्षिक समीक्षा बैठकों के लिए प्रगति की समीक्षा करने और मुद्दों और चुनौतियों को समझने के लिए ओओएमएफ ढांचे पर कम अंतराल पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए नीति आयोग अब ओओएमएफ की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करता है। सभी मंत्रालयों में आंतरिक लेख-परीक्षा इकाइयों की क्षमता को बढ़ाने के संबंध में यह कहा जाता है कि समिति की सिफारिशों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और लेखा महानियंत्रक कार्यालय का आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।		
3.	समिति केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में एक प्रणालीगत शासन-संकट को नोट करती है ,जो नेतृत्व रिक्तियों ,वित्तीय कमी तथा राज्य क्षमता की कमजोरियों	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की नेतृत्व विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाओं, कक्षा सत्रों, लाइव परियोजनाओं, कार्यकारी कोचिंग और व्यापक अनुभवों का एक	स्वीकृत	

से उत्पन्न“ त्रिस्तरीय संकट “के रूप में परिलक्षित होता है। फरवरी 2026 तक 53 सीपीएसई ,जिनमें रणनीतिक उपक्रम जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा बीएसएनएल भी शामिल हैं ,नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के बिना कार्य कर रहे हैं और अस्थायी“ अतिरिक्त प्रभार ”व्यवस्था पर निर्भर हैं। निरीक्षण की यह समस्या स्वतंत्र निदेशकों के मामले में और भी गंभीर है ,जहाँ 758 के स्वीकृत पदों के मुकाबले 533पद रिक्त है-जो कि लगभग 70 प्रतिशत की अत्यधिक रिक्त दर को दर्शाता है। समिति पाती है कि वर्ष 27-2026 के बजट के अनुमान के लिए विभाग का कुल बजट आवंटन ₹29.60 करोड़ है ,जिसमे से ₹22.85 करोड़ गैर-योजना सचिवालय व्यय पर केंद्रित है ,जिसके कारण“ योजना ”मद (अनुसंधान ,विकास एवं समझौता ज्ञापन प्रणाली) में 44 प्रतिशत का वित्तीय अंतर उत्पन्न हो गया है। यह कमी सीधे तौर पर“ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ बोर्ड्स ”को बाधित करती है तथा“ प्रणालीगत राज्य क्षमता ”के अंतराल को विशेषकर जटिल अंतरराष्ट्रीय निवेशों के लिए आवश्यक आंतरिक वाणिज्यिक विशेषज्ञता की कमी को दूर करने में विभाग की क्षमता को सीमित करती है। समिति आगे यह भी पाती है कि प्रिंसिपल परफ़ोर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के रूप में अभिप्रेत समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रणाली वर्तमान में कई महत्वपूर्ण कमियों से ग्रस्त है। समिति के 2025 के अध्ययन दौरों से यह पाया गया कि लक्ष्य को अंतिम रूप देने में निरंतर विलंब	व्यवस्थित संयोजन प्रदान करने के लिए क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) के सहयोग से 'दक्ष' नामक नेतृत्व विकास कार्यक्रम को संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भाग लेने वाले सीपीएसई अपने कार्यपालकों को उपरोक्त कार्यक्रम के लिए नामित करते हैं और कार्यक्रम की लागत वहन करते हैं। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) आरडीसीआर योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें प्रमुख शैक्षणिक और प्रबंधन संस्थानों के सहयोग से सीपीएसई/राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों (एसएलपीई) के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं की लागत डीपीई द्वारा आरडीसीआर योजना के माध्यम से वहन की जाती है। बोर्ड स्तर के पदों के लिए चयन लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा किया जाता है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्राधिकार में आता है। पीईएसबी ने सूचित किया है कि सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय पदों की भर्ती के संबंध में समेकित दिशानिर्देशों, जिसे स्थापना अधिकारी, डीओपीटी के अ.शा. सं. 28/43(ईओ)/2013-एसीसी दिनांक 29.08.2017 के अंतर्गत प्रसारित किया गया था, अनुमानित रिक्तियों के लिए बोर्ड-स्तरीय पदों की भर्ती संबंधी गतिविधियों हेतु निम्नलिखित समय-सीमाएं प्रदान करें: <table><tr><th>गतिविधि</th><th>समयसीमा</th></tr><tr><td>अंतिम रूप / विवरण / संशोधन / योग्यता / पात्रता शर्तें</td><td>पद रिक्त होने की तिथि से 01 वर्ष 03 माह पहले</td></tr><tr><td>पीईएसबी द्वारा रिक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना</td><td>पदधारी के कार्यकाल की समाप्ति से 01 वर्ष पहले, अर्थात् रिक्ति की तिथि</td></tr><tr><td>पीईएसबी द्वारा आवेदन प्राप्त करने का समय</td><td>30 दिन</td></tr><tr><td>पीईएसबी की सिफारिश प्रशासनिक मंत्रालय के पास कब तक उपलब्ध होनी चाहिए</td><td>रिक्ति की तिथि से 06 माह पहले</td></tr></table>	गतिविधि	समयसीमा	अंतिम रूप / विवरण / संशोधन / योग्यता / पात्रता शर्तें	पद रिक्त होने की तिथि से 01 वर्ष 03 माह पहले	पीईएसबी द्वारा रिक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना	पदधारी के कार्यकाल की समाप्ति से 01 वर्ष पहले, अर्थात् रिक्ति की तिथि	पीईएसबी द्वारा आवेदन प्राप्त करने का समय	30 दिन	पीईएसबी की सिफारिश प्रशासनिक मंत्रालय के पास कब तक उपलब्ध होनी चाहिए	रिक्ति की तिथि से 06 माह पहले	
गतिविधि	समयसीमा											
अंतिम रूप / विवरण / संशोधन / योग्यता / पात्रता शर्तें	पद रिक्त होने की तिथि से 01 वर्ष 03 माह पहले											
पीईएसबी द्वारा रिक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना	पदधारी के कार्यकाल की समाप्ति से 01 वर्ष पहले, अर्थात् रिक्ति की तिथि											
पीईएसबी द्वारा आवेदन प्राप्त करने का समय	30 दिन											
पीईएसबी की सिफारिश प्रशासनिक मंत्रालय के पास कब तक उपलब्ध होनी चाहिए	रिक्ति की तिथि से 06 माह पहले											

होता है" ,सॉफ्ट टार्गेट सेटिंग "से' एक्सेलेन्ट 'रेटिंग बढ़ती है तथा अल्पकालिक वित्तीय संकेतकों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण गुणात्मक प्रदर्शन की उपेक्षा होती है। इसके अतिरिक्त ,कच्चे माल की कमी तथा आधुनिकीकरण में विलंब जैसी संरचनात्मक बाधाओं को कई बार गलत रूप से श्रम-उत्पादकता के साथ जोड़े दिया जाता है। साथ ही, सहायक कंपनियों के लिए समर्पित मूल्यांकन तंत्र के अभाव के कारण उनकी परिचालन अक्षमताएँ अक्सर दृष्टिगत नहीं हो पातीं। इन बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए समिति निम्नलिखित व्यापक उपायों की सिफारिश करती है: 1. वित्तीय एवं संरचनात्मक सुधार :वित्त मंत्रालय को संशोधित अनुमान (आरई) चरण में अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि दक्ष (डीएकेएसएच) पहल तथा अधिकारियों के लिए उन्नत वाणिज्यिक प्रशिक्षण को पूर्ण रूप से वित्तपोषित किया जा सके। एक "जीरो टॉलरेंस वैकेन्सी पॉलिशी "लागू की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत पब्लिक एंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा चयन प्रक्रिया नियत सेवानिवृत्ति तिथि से कम से कम 12 माह पूर्व प्रारंभ की जाए, जिससे नेतृत्व का निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित हो तथा दीर्घकाल तक अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था से बचा जा सके। 2. समझौता ज्ञापन फ्रेमवर्क ढांचे का आधुनिकीकरण : सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीईपी) को समझौता ज्ञापन प्रणाली को विकसित कर एक डिजिटल परफॉर्मंस डैशबोर्ड के रूप में परिवर्तित करना चाहिए, जिसमें" उत्तराधिकार	उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि रिक्तियों का अभिलेख रखने और उन्हें भरने की समग्र जिम्मेदारी संबंधित सचिव की होगी। इसके अलावा, पीईएसबी ने रिक्त पदों की निगरानी के लिए एक वैकेन्सी ट्रेकिंग डैशबोर्ड तैयार किया है। समझौता ज्ञापन संरचना का आधुनिकीकरण: उत्तराधिकार आयोजना को पहले ही समझौता ज्ञापन मापदंड के रूप में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा, समझौता ज्ञापन मापदंडों को सौंपे गए वेटेज की समीक्षा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाती है, और मापदंडों में सीपीएसई के कार्य-निष्पादन के सभी पहलुओं चाहे वह गुणवत्ता, उत्पादकता, स्थिरता आदि हो को व्यापक रूप से शामिल किया जाता है, और लक्ष्यों को भी यथोचित रूप से महत्वाकांक्षी रखा जाता है। "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने वाले सीपीएसई की संख्या वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 (88 में से), वित्तीय वर्ष 2023-24 में 41 (91 में से) और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 (90 में से) थी। यह इंगित करता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उच्च संख्या को छोड़कर केवल उचित संख्या में सीपीएसई ने "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है, जिसका श्रेय उस वर्ष के दौरान सूचीबद्ध सीपीएसई के असाधारण रूप से सुदृढ़ बाजार कार्य-निष्पादन को दिया जा सकता है। सीपीएसई के ऐतिहासिक कार्य-निष्पादन, भविष्य के अनुमानों और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों को महत्वाकांक्षी रखा गया है। सहायक कंपनियों की कार्य-निष्पादन निगरानी ढांचे की मूल भावना को बनाए रखते हुए होल्डिंग सीपीएसई द्वारा की जाती है। इसके अलावा, सीपीएसई के धारण का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन उनकी सहायक कंपनियों के कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए समेकित आधार पर किया जाता है।	
--	--	--

योजना "को एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में अनिवार्य किया जाए, ताकि" ग्लोबल ऑपरेटिंग डेप्थ डेफिसिट "को दूर किया जा सके। स्कोरकार्ड को पुनर्संतुलित करते हुए भौतिक मानकों , उत्पाद गुणवत्ता तथा शुद्ध विदेशी मुद्रा प्रभाव को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए ,जिससे लक्ष्य यथार्थवादी होने के साथ -साथ इतने महत्वाकांक्षी भी हों कि सामान्य प्रदर्शन और वास्तविक उत्कृष्टता के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित हो सके। 3. परिचालन लचीलापन एवं निगरानी :उचित मामलों में लाभांश वितरण की अपेक्षाओं की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए ,ताकि सीपीएसई को अनुसंधान एवं विकास तथा क्षमता विस्तार के लिए अपनी आय को बनाए रखने में अधिक लचीलापन मिल सके। साथ ही, डीपीई को सहायक कंपनियों की निकट निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्यांकन ढांचे में प्रणालीगत बाधाओं और श्रम-उत्पादकता के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए, जिससे प्रदर्शन का आकलन निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ बना रहे। “फॉर्मल बोर्ड आर्किटेक्चर "और" सिस्टम लेवल स्टेट कैपेबिलिटी "के बीच मौजूद अंतर को पाटकर सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि सीपीएसई एक अधिक जटिल और वैश्वीकृत बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाओं के रूप में विकसित हों।	परिचालन लचीलापन और निरीक्षण: सीपीएसई द्वारा लाभांश की घोषणा सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को सांविधिक सीमाओं के अध्यधीन कर पश्चात लाभ (पीएटी) के 30% अथवा निवल मूल्य के 4%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना होता है। दीपम ने सूचित किया है कि उचित मामलों में लाभांश भुगतान की उम्मीदों की समीक्षा के सुझाव को पहले से ही लागू किया जा रहा है। उक्त न्यूनतम लाभांश केवल एक बैचमार्क है, और सीपीएसई से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर उच्च लाभांश का भुगतान करने का प्रयास करें, और लाभप्रदता, निवल मूल्य, नकद भंडार, उधार लेने की क्षमता और भविष्य की विकास योजनाओं जैसे कारकों पर विचार करें। इसके अलावा, लाभांश की घोषणा के संबंध में निर्णय संबंधित सीपीएसई के निदेशक मंडल द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में लिया जाता है। यदि कोई सीपीएसई उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में से किसी का अनुपालन करने में सक्षम नहीं है, तो सीपीएसई के कार्य-निष्पादन और दक्षता में सुधार लाने के लिए किसी विशिष्ट छूट/रियायत की आवश्यकता होती है, तो इसे अंतर-मंत्रालयी मंच अर्थात् सीपीएसई द्वारा पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी समिति (सीएमसीडीसी) में रखा जाता है और उस पर चर्चा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता दीपम के सचिव करते हैं, और अधिक परिचालनिक और वित्तीय लचीलेपन के लिए छूट/रियायत, यदि कोई हो, प्रदान की जाती है। सीपीएसई को समझौता जापन रेटिंग ढांचे में निहित उचित प्रोत्साहनों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और क्षमता विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।	
--	--	--

		समझौता ज़ापन ढांचे के तहत, सीपीएसई के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन होल्डिंग कंपनी स्तर पर डीपीई द्वारा किया जाता है, जिसमें उनकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का कार्य-निष्पादन शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, होल्डिंग सीपीएसई को अपनी संबंधित सहायक कंपनियों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है। मौजूदा समझौता ज़ापन तंत्र सीपीएसई के कार्य-निष्पादन के सभी प्रमुख पहलुओं का विस्तृत समावेशन पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करता है। "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने वाले सीपीएसई की संख्या वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 (88 में से), वित्तीय वर्ष 2023-24 में 41 (91 में से) और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 (90 में से) थी। यह इंगित करता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उच्च संख्या को छोड़कर केवल उचित संख्या में सीपीएसई ने "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है, जिसका श्रेय उस वर्ष के दौरान सूचीबद्ध सीपीएसई के असाधारण रूप से सुदृढ़ बाजार कार्य-निष्पादन को दिया जा सकता है। सीपीएसई के ऐतिहासिक कार्य-निष्पादन, भविष्य के अनुमानों और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों को महत्वाकांक्षी रखा गया है। ढांचे की मूल भावना को बनाए रखते हुए सहायक कंपनियों की निष्पादन निगरानी होल्डिंग सीपीएसई द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीपीएसई की होल्डिंग का निष्पादन मूल्यांकन उनकी सहायक कंपनियों के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए समेकित आधार पर किया जाता है।		
4.	समिति "राजस्व-केंद्रित" "निजीकरण दृष्टिकोण से" मूल्य वृद्धि अधिकतम करने "पर सम्पूर्ण केंद्रित समग्र सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन रणनीति में रणनीतिक बदलाव की सराहना करती है। इस स्थानांतरण का प्रमाण सूचीबद्ध सीपीएसई की कुल बाजार पूंजीकरण में उल्लेखनीय 3.5 गुना वृद्धि है—2021 में ₹12.10 लाख	निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) रिक्त पदों को भरने के संबंध में, दीपम संबंधित विभागों के साथ प्राथमिकता के आधार पर मामले का सक्रियता से अनुसरण कर रहा है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा व्यय विभाग से इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित समन्वय किया जा रहा है।	स्वीकृत	

करोड़ से 2026 की शुरुआत में ₹42.76 लाख करोड़-और पांच वर्षों में प्रति सीपीएसई शुद्ध लाभ में 174% की वृद्धि। भले ही भारत बॉण्ड ईटीएफ जैसे उपकरणों की सफलता ने घरेलू बॉण्ड बाजार में गहरी पहुंच बनाई है, समिति का यह मानना है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹80,000 करोड़ पूंजी प्राप्ति लक्ष्य अस्थिर बाजार परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी 2.0) के तहत व्यापक ₹16.72 लाख करोड़ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विभाग आईएनवीआईटी (InvITs) और आरईआईटी (REITs) जैसे सामूहिक निवेश माध्यमों का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। समिति का मानना है कि ये साधन अपर्याप्त रूप से उपयोग किए जा रहे वित्तीय संसाधनों की संभावनाओं को प्रकट कर सकते हैं और विकसित भारत की अवसंरचना के लिए वित्तपोषण का एक संपोषणीय तंत्र प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव से रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्तियों का मूल्यांकन कम न हो। समिति गंभीर चिंता के साथ यह मानती है कि मूल्य वृद्धि अधिकतम करने संबंधी महत्वाकांक्षी एजेंडे की निगरानी के बावजूद डीआईपीएम को केवल ₹55.92 करोड़ का मामूली बजट आवंटित किया गया है और यह 43% की प्रबलित रिक्ति दर के साथ संचालित हो रहा है। 89 अनुमोदित पदों में केवल 51 अधिकारियों को बनाए रखना-जिसमें निदेशक (11 रिक्तियां) और उप	आईएनवीआईटी और आरईआईटी के रोडमैप बनाने के संबंध में यह बताना प्रासंगिक है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के पैराग्राफ 35 के द्वारा समर्पित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) की स्थापना के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण में तेजी लाने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में, दिनांक 1 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीपम) और नीति आयोग के साथ-साथ सीपीएसई, विनियामकों, वित्तीय संस्थानों और बाजार सहभागियों सहित प्रमुख हितधारकों की भागीदारी के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में आरईआईटी संरचनाओं के माध्यम से सीपीएसई की रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के मुद्राकरण के लिए व्यावहारिक उपायों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। कार्यशाला के अनुसरण में, सेबी जैसे विनियामकों के साथ-साथ सीपीएसई यथा एनबीसीसी, हुडको, एमटीएनएल, बीएसएनएल, आईटीआई के साथ अनेक बहु-हितधारक परामर्श आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों यथा भारतीय आरईआईटी संगठन के साथ भी हितधारक परामर्श आयोजित किए जा चुके हैं। वित्तीय विशिष्टताओं और आरईआईटी संरचना की संभावनाएँ देखने के लिए निवेश बैंकों के साथ भी हितधारक परामर्श आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, वर्तमान में सीपीएसई में भारत सरकार की हिस्सेदारी को 51% से कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, सिवाय उन मामलों के, जिनमें सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार रणनीतिक निवेश किया जा रहा है। लोक उद्यम विभाग उत्तराधिकार योजना (सक्सेशन प्लानिंग) को पहले ही समझौता ज्ञापन पैरामीटर के रूप में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा, समझौता ज्ञापन मापदंडों को सौंपे गए भारांक की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त	
---	---	--

सचिव (8 रिक्तियाँ)—विभाग की आईडीबीआई बैंक या सीपीएसई के समझौता ज़ापनों को अंतिम रूप देने जैसे जटिल लेनदेन को निष्पादित करने की क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। इस क्षेत्र में जहां उच्च विशेषज्ञता वाले वित्तीय और कानूनी समझ की आवश्यकता होती है, इतने बड़े स्तर पर मानव शक्ति की कमी विनिवेश लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और प्रमुख अचल परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण को प्रबंधित करने की विभाग की क्षमता को कमजोर करती है। इन प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने के लिए, समिति सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय 38 रिक्त अधिकारी पदों को तत्काल भरने को प्राथमिकता दे, जिसके लिए डीओपीटी और व्यय विभाग के साथ त्वरित समन्वय किया जाए। समिति डीआईपीएम से अनुरोध करती है कि वे आईएनवीआईटी (InvITs) और आरईआईटी (REITs) कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक रोडमैप तैयार करें, जिसे मजबूत मूल्यांकन सुरक्षा उपायों और पारदर्शी निगरानी तंत्र द्वारा समर्थित किया जाए। इसके अतिरिक्त, विभाग को एक स्पष्ट कानूनी रणनीति को अंतिम रूप देना चाहिए—जिसमें “गोल्डन शेयर” या अप्रत्यक्ष नियंत्रण मॉडल को शामिल किया जाए—ताकि उन संस्थाओं में रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा की जा सके जहां राज्य की हिस्सेदारी 51% से कम हो सकती है। अंत में, एमओयू ढांचे को एक उच्च-प्रदर्शन उपकरण के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो “उत्तराधिकार	समिति द्वारा किया जाता है, और मापदंडों में सीपीएसई के कार्य-निष्पादन के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल किया जाता है, चाहे वह गुणवत्ता, उत्पादकता, स्थिरता आदि और लक्ष्यों को भी यथोचित रूप से महत्वाकांक्षी रखा जाता है। लाभांश भुगतान का विषय दीपम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि, सीपीएसई को समझौता ज़ापन रेटिंग ढांचे में निहित उचित प्रोत्साहनों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास और क्षमता विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मौजूदा समझौता ज़ापन तंत्र, सीपीएसई के कार्य-निष्पादन के सभी प्रमुख पहलुओं का व्यापक कवरेज पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करता है। सीपीएसई के ऐतिहासिक कार्य-निष्पादन, भविष्य के अनुमानों और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों को महत्वाकांक्षी रखा गया है।	
---	--	--

	योजना "को अनिवार्य करे और सुनिश्चित करे कि लाभांश राजस्व के लिए दबाव, सीपीएसई को उनकी ₹3 लाख करोड़ वार्षिक पूंजीगत व्यय लक्ष्यों के लिए आवश्यक आंतरिक अर्जन से वंचित न करे, जो दीर्घकालिक लाभकारी विकास के लिए आवश्यक है।											
5.	समिति नोट करती है कि वर्ष बअ 2026-27 के लिए, विभाग ने ₹9,923.26 करोड़ की आवश्यक राशि का अनुमान लगाया था, लेकिन उसे ₹6,834.28 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ, जिससे ₹3,088.98 करोड़ का महत्वपूर्ण अंतर रह गया। समिति पाती है कि जबकि राजस्व खंड अधिकांशतः कवर है, कमी का सबसे अधिक प्रभाव पूंजी खंड पर पड़ता है (₹2,277.81 करोड़ की मांग के मुकाबले केवल ₹192.50 करोड़ आवंटित), जो कर्मचारियों के कार्यालय और आवासीय अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय पुनर्वित्तीय संशोधित अनुमान चरण में पूंजी आवंटन पर पुनर्विचार करे ताकि आवश्यक बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में अवरोध पैदा न हो। समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि विभाग अपने आवंटित धन का उपयोग उन्नत डेटा एनालिटिक्स और फॉरेंसिक ऑडिटिंग उपकरणों के एकीकरण को प्राथमिकता देने के लिए करे, ताकि बजटीय सीमाओं के बावजूद जटिल डिजिटल सरकारी व्ययों की निगरानी मजबूत बनी रहे।	हालांकि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता पर विचार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है। तथापि संशोधित अनुमान (आर.ई.) की मंजूरी के बाद समय कम होने के कारण, बड़ी राशि का उपयोग करना संभव नहीं होगा, इसके अलावा, बजट-पूर्व बैठक में वित्त मंत्रालय के विचार-विमर्श, सीमित बजटीय संसाधन, और राजकोषीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए, परियोजना लागत में संशोधन किया गया है और इसे अगले तीन वर्षों में वितरित किया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है। निधि की मांग का अनुमान तदनुसार लगाया जाएगा। (करोड़ रुपये में) <table><tr><th>आर.ई. 2026-27</th><th>बी.ई. 2027-28</th><th>बी.ई. 2028-29</th><th>बी.ई. 2029-30</th></tr><tr><td>362.04</td><td>1622.00</td><td>775.00</td><td>577.00</td></tr></table> 2. इसके अलावा, समिति की उस सिफारिश के संबंध में जिसमें आवंटित निधि का उपयोग उन्नत डेटा विश्लेषण और फॉरेंसिक ऑडिटिंग उपकरणों के एकीकरण को प्राथमिकता देने के लिए किया जाना है, ताकि बजटीय बाधाओं के बावजूद तेजी से जटिल होते जा रहे डिजिटल सरकारी व्ययों की निगरानी मजबूत बनी रहे, यह कहा गया है कि; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं के प्रबंधन, निष्पादन और आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। इनमें स्थापित ऑडिट प्रबंधन प्रणालियों से लेकर वर्तमान में विकास के अधीन उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रोटोकॉल तक शामिल हैं। डेटा विश्लेषण के संबंध में, सीएजी संरचित और असंरचित डेटा की बड़ी मात्रा को संभालने के लिए विभिन्न कंप्यूटर-सहायता प्राप्त ऑडिट तकनीकों (सीएएटी) का उपयोग करता है, उदाहरण के लिए;	आर.ई. 2026-27	बी.ई. 2027-28	बी.ई. 2028-29	बी.ई. 2029-30	362.04	1622.00	775.00	577.00	स्वीकृत	
आर.ई. 2026-27	बी.ई. 2027-28	बी.ई. 2028-29	बी.ई. 2029-30									
362.04	1622.00	775.00	577.00									

		i) आई.डी.ई.ए और एस.क्यू.एल: उच्च मात्रा में संरचित डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले विश्लेषणात्मक उपकरण। ii) ओपन डेटा किट (ओ.डी.के): डेटा डिजाइन करने, एकत्र करने और प्रबंधित करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका उपयोग अक्सर लाभार्थी सर्वेक्षणों के लिए किया जाता है। iii) पायथन-आधारित स्वचालन : निविदाओं में कार्टेलाइजेशन का पता लगाने जैसे विशेष फॉरेंसिक ऑडिट के लिए बल्क दस्तावेज़ डाउनलोड और डेटा फ़िल्टरिंग को स्वचालित करने के लिए कस्टम पायथन स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। iv) एम.एस. एक्सेस और एम.एस. एक्सेल: खाता बही शेष और महत्वपूर्ण गणनाओं के स्वतंत्र सत्यापन के लिए उपयोग किया जाता है। 3. इसके अतिरिक्त, सटीकता और दक्षता बढ़ाने के लिए, सीएजी एक प्रौद्योगिकी-आधारित" रिमोट और हाइब्रिड "ऑडिटिंग मॉडल की ओर अग्रसर है, उदाहरण के लिए: i) सीएजी-एलएलएम: एक आंतरिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) जिसे लेखा परीक्षकों को दशकों के संस्थागत ज्ञान तक पहुँचने और निरीक्षण रिपोर्टों को अधिक कुशलता से तैयार करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ii) एआई/एमएल प्रोटोकॉल : राज्य लाभार्थी योजनाओं में विसंगति का पता लगाने, जोखिम मूल्यांकन करने और धोखाधड़ी के मामलों को उजागर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। iii) पीएम गतिशक्ति और भू-स्थानिक उपकरण : स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से साक्ष्य जुटाने और क्षेत्रीय एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 4. इसके अतिरिक्त, सीएजी दूरस्थ लेखापरीक्षाओं को सुगम बनाने के लिए विभिन्न बाहरी सरकारी प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत है, उदाहरण के लिए: i) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस): राज्य के वित्तीय अभिलेखों तक पहुँच के लिए		
--	--	--	--	--

		iii) डब्ल्यू.ए.एम.आई.एस.: सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के प्रबंधन और लेखापरीक्षा के लिए। iii) जी.ई.पी.एन.आई.सी: इलेक्ट्रॉनिक सरकारी खरीद प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा के लिए। iv) ई-ऑफिस और स्पैरो: आधिकारिक पत्राचार और मानव संसाधन डेटा आदि के प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले आंतरिक प्रशासनिक अनुप्रयोग। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के पास कोर इन-हाउस ऑडिट प्लेटफॉर्म हैं, उदाहरण के लिए: i) वन आईए एंड एडी वन सिस्टम (ओआईओएस): एक व्यापक उद्यम अनुप्रयोग जिसे योजना और निष्पादन से लेकर अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने तक संपूर्ण लेखापरीक्षा जीवनचक्र के प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ii) सीएजी-कनेक्ट पोर्टल : एक एकीकृत डिजिटल इंटरफ़ेस जो लगभग 10 लाख लेखापरीक्षित संस्थाओं को लेखापरीक्षा प्रश्नों, टिप्पणियों और निरीक्षण रिपोर्टों का सीधे जवाब देने की अनुमति देता है, जिससे त्वरित समाधान और ट्रेकिंग में सुविधा होती है। iii) वर्चुअल ऑडिट सिस्टम: ऑडिटऑनलाइन के साथ एकीकृत एक पेपरलेस सिस्टम (विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में पंचायती राज संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है) जो दूरस्थ प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करता है। iv) पर्सुआईटी : ऑडिट के महत्वपूर्ण चरणों के प्रबंधन और ट्रेकिंग के लिए जावा और रेड हैट जेबॉस का उपयोग करके विकसित एक कस्टम एप्लिकेशन। <i>बजट अनुमान (2027-28) के तहत आंकड़ों को ₹1343 करोड़ से संशोधित करके ₹1622 करोड़ कर दिया गया है। मुख्य हेड-4059 और 4216 के तहत चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्टों (A और B) [पृष्ठ संख्या 41 - 44] में दिया गया है।</i>		
--	--	--	--	--

6.	समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2026-27 के लिए, ब्याज भुगतानों के लिए शुद्ध विनियोजन ₹14,03,971.19 करोड़ है, जो कुल केंद्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समिति पाती है कि इसमें आंतरिक ऋण पर ₹13,68,078.36 करोड़ और बाहरी ऋण पर ₹35,892.83 करोड़ शामिल हैं, जो अस्थिर वैश्विक ब्याज दर वातावरण में राष्ट्रीय ऋण सेवा की बढ़ती लागत को दर्शाते हैं। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि आर्थिक कार्य विभाग आरबीआई के साथ मिलकर ऋण संबंधी कैलेंडर का इष्टतम उपयोग करने और मध्यकाल में ब्याज बोझ को कम करने के लिए ऋण कम करने संबंधी नई रणनीतियों का पता लगाए। समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि “ऋण प्रबंधन रणनीति” को बढ़ाया जाए ताकि दीर्घ कालिक-परिपक्वता प्रोफाइल की ओर बदलाव हो, जिससे पुनर्वित्त जोखिम कम हों और उत्पादक पूंजी निवेश के लिए राजस्व को मुक्त किया जा सके।	सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम करती है। भारत सरकार का छमाही उधार कैलेंडर नकदी और ऋण प्रबंधन के निगरानी समूह की बैठकों के दौरान आरबीआई के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद लाया जाता है। कार्यनीति का ध्यान मध्यावधि में ब्याज के बोझ को कम करने के लिए एक विवेकपूर्ण और लचीली बाजार उधार कार्यनीति को अपनाना है। उपयोग की जा रही कुछ कार्यनीतियों में प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद (ब्याज के बोझ को कम करने वाली उच्च कूपन प्रतिभूतियों का शीघ्र मोचन) और किसी विशेष अवधि (स्रोत प्रतिभूतियों) की बकाया प्रतिभूतियों को एक अलग अवधि (गंतव्य प्रतिभूतियों) की प्रतिभूतियों के साथ बदलना शामिल है, जो परिपक्वता को बढ़ाने में मदद करता है। हाल ही में, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा के बाद, सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों को स्विच किया, जिससे वर्ष 2026-27 के दौरान अनुमानित उधार में 1.11 लाख करोड़ रुपये की कमी आई। स्विचिंग/बायबैक कार्यनीतियों को अर्ध-वार्षिक जारी करने की कार्यनीति द्वारा पूरक किया जाता है जो अवधि को बढ़ाने का प्रयास करती है। दीर्घ परिपक्वता प्रोफाइल की ओर यह क्रमिक बदलाव जी-सेकंड की भारित औसत परिपक्वता द्वारा देखा जाता है। वर्ष के दौरान जी-सेक जारी करने की भारित औसत परिपक्वता ने 14.49 वर्षों में वर्ष 2020-21 से 18.88 वर्षों में वर्ष 2025-26 में सुधार दिखाया है और जी-सेक के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) 11.31 वर्षों में वर्ष 2020-21 से 13.24 वर्षों में वर्ष 2024-25 में बढ़ गई है। समिति के संतुलित बजट की ओर बढ़ने के सुझाव पर ध्यान दिया गया है। सरकार का राजकोषीय रुख समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करते हुए.... “राजकोषीय समेकन के मार्ग पर जारी रखने का रहा है। राजकोषीय नीति मजबूत मैक्रो- इकोनॉमिक फंडामेंटल के निर्माण की दिशा में केंद्रित होगी जो बाहरी झटकों और वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना कर सकती है।”	समिति की टिप्पणियों को नोट किया जाता है।
----	--	---	---

7.	समिति नोट करती है कि ऋण पुनर्भुगतान के लिए बजट अनुमान 2026-27 में ₹95,34,445.88 करोड़ (सकल) आवंटित किए गए हैं, जिसमें आंतरिक ऋण के लिए ₹94,59,383.97 करोड़ और बाहरी ऋण के लिए ₹75,061.91 करोड़ शामिल हैं। समिति पाती है कि इस पुनर्भुगतान का एक बड़ा हिस्सा तकनीकी स्वरूप का है, जिसमें ट्रेजरी बिल और साधनोपाय अग्रिम राशि जैसे संक्षिप्त अवधि साधनों का निपटान शामिल है। अतः समिति सिफारिश करती है कि दीर्घकालिक बांडों के पुनर्भुगतान को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने के लिए एक अधिक औपचारिक 'सिंकिंग फंड' स्थापित किया जाए। समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि विभाग ऑफ-बजट 'देनदारियों के संबंध में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखे ताकि बाजार के पास कुल पुनर्भुगतान दायित्वों का सटीक दृश्य हो जिससे इस प्रकार सार्वभौमिक क्रेडिट रेटिंग की स्थिरता को बनाए रखा जा सके।	ट्रेजरी बिलों का मोचन, अर्थोपाय अग्रिम, और सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों सहित ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों को मौजूदा ऋण प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित किया जाता है। जैसा कि समिति द्वारा नोट किया गया है, संसद द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिए गए विनियोजन का लगभग 68% 14 दिवसीय टी-बिलों और अर्थोपाय अग्रिमों के पुनर्भुगतान के लिए है। 14-दिवसीय टी-बिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने नकद अधिशेष का निवेश करने के लिए विधायिकाओं के साथ एक विशेष विंडो प्रदान करते हैं। चूंकि 14-दिवसीय टी-बिलों के निवेश और विनिवेश का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर विनियोजन करने के प्रयास किए जाते हैं। इसी तरह, डब्ल्यूएमए के तहत विनियोजन सरकार को हर समय भारत सरकार के लेनदेन को पूरा करने के लिए नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। सिंकिंग फंड स्थापित करने के लिए समिति के सुझावों को विधिवत नोट किया जाता है। हालांकि, इस तरह के निधि को उधार के संसाधनों से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार, इस तरह के फंड के निर्माण को कारक-उच्च उधार के वित्तीय निहितार्थ में करना होगा। सरकार ने व्यय प्रोफाइल में अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों (विवरण संख्या 27) के विवरण के माध्यम से पूरी तरह से सेवित बॉन्ड और अन्य संसाधनों का प्रकटीकरण करते हुए बजट में उच्चतम पारदर्शिता बनाए रखी है। वित्त वर्ष 2019-20 (जुलाई) के बजट में पेश किए गए व्यय प्रोफाइल सं. 27 का दायरा पिछले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 (जुलाई) के बजट विवरण में सरकार की एजेंसियों से मिले योजना व्यय को शामिल किया गया था, जबकि बजट 2020-21 में, विवरण का विस्तार किया गया था ताकि सरकार की एजेंसियों को एनएसएसएफ ऋण शामिल किए जा सकें। आगे, वर्ष 2024-25 में, विवरण 27-क को एनएचआई और आईआरएफसी द्वारा उठाए गए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को दर्शाने के लिए	समिति की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है।
----	--	--	---

		जोड़ा गया था। राजकोषीय पारदर्शिता के लिए अनिवार्यता इसलिए सरकार के राजकोषीय ढांचे की आधारशिला है।		
8.	समिति नोट करती है कि पेंशन के लिए बजट अनुमान 2026-27 का आवंटन ₹1,01,500.00 करोड़ है, जो कि अनुमानित मांग ₹1,01,767.00 करोड़ से थोड़ा कम है। समिति पाती है कि लगभग 40,000 नए पेंशनभोगी हर साल शामिल होने से, विशेषकर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) और उसके संबंधित आरक्षित फंड की आवश्यकताओं के लागू किए जाने से इस मांग पर दबाव लगातार बना रहता है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग समय-समय पर एक वास्तविक आकलन करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजटीय प्रावधान बढ़ती हुई दीर्घकालिक अवधि की देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि 'इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम' के माध्यम से पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकृत किया जाए ताकि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने में किसी प्रकार का कोई विलंब न हो।	<u>बजटीय प्रावधानों के आवधिक बीमांकिक मूल्यांकन के संबंध में समिति की सिफारिशों के विषय में:</u> राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों को मजबूत करने हेतु, राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करते हुए सरकार ने एनपीएस के अभिदाताओं की पेंशन आवश्यकताओं और दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा की जांच करने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति के जनसांख्यिकीय और आर्थिक कारकों के आकलन और हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर, सरकार ने दिनांक 01.04.2025 से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरुआत की। इस योजना के संबंध में मंत्रिमंडल के अनुमोदन में यह परिकल्पना की गई है कि सरकारी अंशदान की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा, अधिमानतः हर तीन वर्ष में की जाएगी, इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजटीय प्रावधान दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहें, योजना के आवधिक बीमांकिक मूल्यांकन के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणी का समाधान पहले ही कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान "सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना" के नाम से 7000 करोड़ रुपये के आरक्षित कोष के साथ एक अव्यपगत रिजर्व कोष का भी गठन किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान उपर्युक्त आरक्षित राशि में से पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) को यूपीएस (पूल कॉर्पस) के लिए सरकारी अंशदान के लिए 1850/- करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।	स्वीकृत	-

		<u>पेंशन प्रसंस्करण के एंड टू एंड डिजिटलीकरण से संबंधित समिति की सिफारिशों के संबंध में:</u> पेंशन प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र में कई हितधारक अर्थात् कार्यालय प्रमुख (एचओओ), वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), और बैंकों के सीपीपीसी, म.ले.नि. का कार्यालय, जीआईएफएमआईएस (पीएफएमएस के लिए) और डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा शुरू की गई भविष्य योजना शामिल हैं, कार्यालय प्रमुख पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, वेतन और लेखा कार्यालय पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करता है और विभिन्न पेंशन लाभों का भुगतान करता है, जबकि सीपीएओ बैंकों के केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) द्वारा पेंशन का मासिक भुगतान करने के लिए विशेष मुहर प्राधिकरण (एसएसए) जारी करता है जो पेंशन वितरण प्राधिकरण (पीडीए) की भूमिका के रूप में कार्य करता है। प्रक्रिया को पुनः तैयार करने और डिजिटल परिवर्तन पर सरकार के फोकस के अनुरूप, पेंशन प्रसंस्करण के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। पेंशनभोगी के प्रारंभिक आवेदन की प्रक्रिया के लिए एचओओ भविष्य पोर्टल, जो केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को पेंशन प्रसंस्करण और पेंशन लाभों की निगरानी की एक ऑनलाइन प्रणाली है, पर आवेदन की कार्रवाई करता है। इसके अलावा, पेंशनभोगी की सुविधा के लिए, सरकार ने नए एकल पेंशन आवेदन फॉर्म-6ए को अधिसूचित किया है, जिसमें कई (9) फॉर्म और प्रारूपों को एकल रूप में विलय कर दिया गया है। यह फॉर्म 6-ए भविष्य में भी एकीकृत है और सेवानिवृत्त अधिकारी भविष्य में एकल ई-साइन के साथ फॉर्म 6-ए प्रस्तुत करते हैं। सीजीएचएस को भी भविष्य के साथ एकीकृत किया गया है जिसने सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को इस पोर्टल के माध्यम से सीजीएचएस कार्ड हेतु आवेदन करने में	
--	--	--	--

		सक्षम बनाया है। इसने सेवानिवृत्ति के पहले दिन से ही सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की है। भविष्य पोर्टल सेवानिवृत्त लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्राप्त करने के लिए पीएफएमएस के पेंशन मॉड्यूल के साथ एकीकृत है। डीसीआरजी, कम्प्यूटेड पेंशन मूल्यों और अन्य पेंशन लाभों (छुट्टी नकदीकरण और सीजीईजीआईएस के अलावा) हेतु पीएफएमएस (जीआईएफएमआईएस) के पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से भुगतान के लिए डिजिटल रूप से संसाधित किया जाता है। यह मॉड्यूल विभिन्न प्रकार के पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति, पारिवारिक पेंशन, वीआरएस, अशक्त पेंशन, एनपीएस- संबंधित पेंशन और डीए/वेतन परिवर्तनों के कारण संशोधन के प्राधिकरण का समर्थन करता है। यह केंद्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों में पेंशन मामलों की एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। पीएओ स्तर पर ई-पीपीओ के बहु-स्तरीय सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर के बाद यह डेटा पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और सुरक्षित रूप से सीपीएओ को प्रेषित किया जाता है। जीआईएफएमआईएस का पेंशन मॉड्यूल ई-पीपीओ पुस्तिकाओं के ऑनलाइन निर्माण और मुद्रण, पेंशन बकाया की डिजिटल प्रक्रिया, फिक्स्ड मेडिकल भत्ता (एफएमए) और विशिष्ट पारिवारिक पेंशन मामलों को संभालने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह मूल पेंशन के साथ-साथ पेंशन मामले के पुनरीक्षण के लिए सीपीएओ से पीएओ और पीएओ से भविष्य (एचओओ) तक पेंशन मामलों की ऑनलाइन वापसी प्रक्रिया का भी समर्थन करता है। यह मॉड्यूल पेंशन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर दक्षता, सटीकता और पारदर्शिता को काफी मजबूत करता है। सीपीएओ केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण और प्राधिकृत करने हेतु प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। सीपीएओ ने पेंशन प्रसंस्करण के डिजिटलीकरण को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। पेंशन मामलों के तकनीकी प्रसंस्करण और ट्रेकिंग के लिए पारस (पेंशन प्राधिकरण, पुनर्प्राप्ति और		
--	--	--	--	--

		लेखा प्रणाली) प्रणाली लागू की गई है। सूचना का समय पर और विश्वसनीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एसएफटीपी-आधारित हस्तांतरण के माध्यम से सीपीएओ और बैंक सीपीपीसी के बीच आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, विशेष सील प्राधिकरणों (एसएसए) का सृजन किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, जिससे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो रही है। सभी एसएसए सीपीएओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं और संबंधित सीपीपीसी की सीधी पहुंच में होते हैं, जिससे दक्षता में सुधार होता है और पेंशन प्राधिकरण और भुगतान में विलंब कम होता है। वर्तमान में, सीपीएओ ईपीपीओ, ईएसएसए, ईस्क्रॉल और संबंधित डेटा फाइलों के प्रसारण के लिए सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) के माध्यम से बैंकों के साथ डेटा का आदान-प्रदान करता है। सीपीएओ और सीपीपीसी के साथ-साथ सीपीएओ और जीआईएफएमआईएस-पीएफएमएस के बीच डेटा विनिमय के लिए एक सु-स्थापित और सुरक्षित तंत्र पहले से ही मौजूद है, जो एसएफटीपी-आधारित ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यह पेंशन प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र में डेटा विनिमय की अखंडता, गोपनीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। सभी विशेष मुहर प्राधिकार सीपीएओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं और पेंशन प्राधिकार और भुगतान के लिए संबंधित सीपीपीसी द्वारा सीधे एक्सेस किए जाते हैं। विभिन्न बैंकों के सभी सीपीपीसी नियमित रूप से सीपीएओ को ई-स्क्रॉल जमा करते हैं जो पेंशन भुगतान डेटा को दर्ज करता है। यह पारस में उपलब्ध अधिकृत डेटा के साथ बैंकों द्वारा किए गए वास्तविक भुगतानों की तुलना को सक्रिय करके मिलान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।		
--	--	--	--	--

		सीपीएओ पेंशन से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति, ट्रैकिंग और समाधान के लिए एक संरचित मंच पीजीएमआईएस (पेंशनभोगी शिकायत प्रबंधन सूचना प्रणाली) भी प्रदान करता है। यह सीपीएओ को सेवा वितरण की निगरानी करने और प्रणालीगत मामलों की पहचान करने में सक्षम बनाते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। इसके पूरक के रूप में डबल्यूआरपीएस (वेब रिस्पॉन्सिव पेंशनर्स सर्विस) और दीर्घायु मोबाइल एप्लिकेशन (एप्प) पेंशन विवरण, पीपीओ स्थिति और भुगतान इतिहास जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्रदान करके पेंशनभोगियों को ऑनलाइन, उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही, डबल्यूआरपीएस और दीर्घायु पहुंच, उपयोगकर्ता अनुभव और आउटरीच में सुधार करते हैं, जो पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल सेवा वितरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पेंशनभोगी और सभी हितधारकों के सरल उपयोग हेतु निपटाए जाने वाले पेंशन मामलों के प्रकार, कार्यक्षमताओं, प्रपत्रों के सरलीकरण के संदर्भ में इन मॉड्यूल को निरंतर उन्नत किया जा रहा है।		
9.	समिति यह नोट करती है कि इस मांग के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान (बीई) में कुल 2,88,866.56 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जिसमें वित्त आयोग अनुदान के साथ-साथ अन्य अनिवार्य अंतरण सम्मिलित हैं। समिति यह भी पाती है कि सोलहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए किसी भी राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) की सिफारिश नहीं की है, जो कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहनों तथा संसाधनों के वितरण की रूपरेखा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, समिति यह भी पाती है कि राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऑफ-बजट ऋण (ओबीबी) को अब	आर्थिक कार्य विभाग क. मांग संख्या 42 (राज्यों को अंतरित) के अंतर्गत ब.अ. 2026-27 का कुल आवंटन ₹3,94,183.52 करोड़ है, जिसमें से वित्त आयोग अनुदान ₹1,29,396.60 करोड़ है। ख. 16वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए किसी भी राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश नहीं की है। इस संबंध में आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 9.48 में बताया है कि "सामान्य रूप से राज्यों के वित्त और विशेष रूप से कर राजस्व, प्रतिबद्ध व्यय और विवेकाधीन व्यय पर हमारी समीक्षा और मूल्यांकन दर्शाता है कि राजस्व बढ़ाने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने की पर्याप्त गुंजाइश है।" ग. 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों और शुल्कों के क्षेत्रीय अंतरण को निर्धारित करने के लिए 10% भार के साथ "सकल घरेलू उत्पाद	केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों की निवल आय (विभाज्य पूल) में राज्यों के हिस्से को 41 प्रतिशत तक प्रतिधारित करने की 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को	

अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत सख्ती से स्वयं राज्यों द्वारा लिए गए ऋण के रूप में माना जा रहा है। समिति यह भी पाती है कि शासन के तृतीय स्तर पर तरलता संकट की स्थिति से बचने तथा क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक विलंब के कारण बाधित होने से बचाने के लिए कार्यनिष्पादन-आधारित अनुदानों तथा स्थानीय निकाय अनुदानों को समयबद्ध रूप से जारी करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियों की स्वीकृति और निधियों के वास्तविक अंतरण के बीच समय अंतराल को कम करने को प्राथमिकता देते हुए निधियों को जारी करने की कार्रवाई को कड़ाई से वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ संरेखित करे। समिति आगे एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र की स्थापना की सिफारिश करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों द्वारा “अप्रतिबंधित अनुदानों” का प्रभावी उपयोग सतत अवसंरचना के विकास हेतु किया जाए, ताकि सहकारी संघवाद की भावना तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, समिति सिफारिश करती है कि विभाग राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऑफ-बजट ऋण (ओबीबी) पर कड़ी निगरानी बनाए रखे, ताकि क्षेत्रीय वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके तथा राष्ट्रीय ऋण की दीर्घकालिक स्थिरता को बनाए रखने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी वित्तीय अंतरणों	(जीडीपी) में योगदान" नामक एक नया मापदंड पेश किया है। इस संबंध में, आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.96 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि जीडीपी में योगदान कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन जैसे दक्षता आधारित मानदंडों के विकल्प के रूप में कार्य करता है। राजस्व विभाग से प्राप्त कर संबंधी अनुमानों के आधार पर बजट प्रभाग द्वारा बांटने योग्य कर और शुल्कों के राज्यों के हिस्से जारी किए जाते हैं। इसे सामयिक आधार पर (प्रत्येक माह की 10 तारीख या अगले कार्य दिवस पर यदि 10 तारीख किसी राजपत्रित अवकाश के दिन हो तो) जारी किया जाता है। <u>व्यय विभाग(राज्यों को अंतरण)</u> कुछ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) और अन्य समान तंत्रों द्वारा बजटेतर उधार लेने के उदाहरण, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाया जाता है, वित्त मंत्रालय के संज्ञान में आए थे। इस तरह की उधारियों द्वारा राज्यों के सकल उधारी सीमा (एनबीसी) को दरकिनार करने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मार्च, 2022 में यह निर्णय लिया गया और राज्यों को सूचित किया गया कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) और अन्य समान तंत्रों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से और/या करों/उपकर या किसी अन्य राज्य के राजस्व के असाइनमेंट द्वारा चुकाया जाता है, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत राज्य द्वारा स्वयं ली गई उधारी के रूप में सहमति जारी करने के उद्देश्य से माना जाएगा। इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों से अनुदान अंतरण प्रमाण-पत्र (जीटीसी) प्राप्त करने के बाद नोडल मंत्रालयों की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकाय अनुदान (ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय अनुदान) जारी किए जाते हैं, जिससे यह इंगित होता है कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी किए गए	स्वीकार कर लिया है।
---	--	----------------------------

	के वास्तविक और ठोस परिणाम जमीनी स्तर पर परिलक्षित हों।	अनुदान स्थानीय सरकारों को अंतरित कर दिए गए हैं। राज्य सरकारें 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होने पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, स्थानीय निकाय अनुदान जारी करने को पीएफएमएस के साथ जोड़ा गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि: - 1. रीयल-टाइम फंड ट्रैकिंग: स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) को मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिए संवितरण की एंड-टू-एंड निगरानी कराता है। 2. बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही: यह प्रणाली, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करते हुए निधि के सटीक प्रवाह को ट्रैक करती है। 3. लागू जवाबदेही: स्वच्छता, पेयजल या बुनियादी ढांचे के लिए निर्दिष्ट धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए व्यय को विशिष्ट सशर्त और शर्तहीन स्थानीय अधिदेश से जोड़ता है। 4. पीएफएमएस विभिन्न हितधारकों को एक विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रदान करता है।		
10.	समिति सरकार द्वारा आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में पूंजीगत व्यय विशेषकर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (76,000 करोड़ रुपये), इंडिया एआई मिशन तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) पर दिए जा रहे रणनीतिक बल की सराहना करती है। हालाँकि, समिति यह पाती है कि 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई	आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के साथ हितधारकों के साथ परामर्श किया। वैकल्पिक निवेश निधियों, एसएमई उद्योग संघ, बजट-उपरांत वेबिनार सहित, प्रस्तावित एसएमई ग्रोथ फंड की विभिन्न तकनीकी एवं वित्तीय विशेषताओं के संबंध में फीडबैक लेने हेतु परामर्श किया। प्राप्त फीडबैक के आधार पर आर्थिक कार्य विभाग ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के मसौदा ज्ञापन को तैयार किया और संबंधित	स्वीकृत	

ग्रोथ फंड की महत्वाकांक्षी घोषणा और इसके लिए केवल 500 करोड़ रुपये के वास्तविक बजटीय प्रावधान के बीच एक उल्लेखनीय अंतर है और यह अंतर तत्काल इक्विटी सहायता प्रदान करके“ भावी अग्रणी उद्यमों ”का निर्माण करने तथा इस योजना को कार्यान्वित करने में 20 वर्षों की दीर्घावधि लगने का जोखिम उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, समिति यह पाती है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड (आईआरजीएफ) की स्थापना अवसंरचना परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है साथ ही, समिति यह भी पाती है कि फ्रंटियर प्रौद्योगिकी वित्तपोषण में काफी ठहराव है तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर को पाटने की बेहद आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समय में ये क्षेत्र वैश्विक भू-राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं। समिति का मानना है कि उच्च पूंजीगत सघनता, आयातित उपकरणों पर निर्भरता तथा अपेक्षाकृत कम राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) व्यय जैसी संरचनात्मक चुनौतियाँ इन उच्च-प्राथमिकता वाले मिशनों के अपेक्षित परिणामों को अभी भी सीमित रखे हुए हैं। इन असंतुलनों के समाधान के लिए समिति यह सिफारिश करती है कि आर्थिक कार्य विभाग एसएमई ग्रोथ फंड की संरचनात्मक रूपरेखा को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करे ताकि एमएसएमई क्षेत्र की तात्कालिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित त्वरित वित्तपोषण चक्र सुनिश्चित किया जा सके।	हितधारकों के साथ उनके विचार/टिप्पणियों के लिए साझा किया और उनकी टिप्पणियाँ/विचार विधिवत प्राप्त हुए। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, आर्थिक कार्य विभाग ने अपने दिनांक 15.06.2026 के पत्र के माध्यम से प्रस्तावित एसएमई ग्रोथ फंड हेतु भारत सरकार की ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता के मूल्यांकन के लिए ईएफसी की बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से अद्यतन ईएफसी ज्ञापन तथा हितधारकों की टिप्पणियों पर आर्थिक कार्य विभाग का उत्तर व्यय विभाग के साथ साझा किया है। बीजीएफ संबंधी इनपुट - 'अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता योजना (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण योजना) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) अवसंरचना परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र सामाजिक क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के लिए अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता तथा ओपेक्स सहायता उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का वर्ष 2020 में पुनर्गठन किया गया था।' आईआरजीएफ संबंधी इनपुट - विभिन्न अवसंरचना वित्तपोषण संस्थाओं और बैंकों के सुझावों को समझने के लिए फरवरी 2026 में एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। प्राप्त सुझावों के आधार पर एक संक्षिप्त नोट तैयार कर विभिन्न भागीदारों के साथ साझा किया गया। अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष (आईआरजीएफ) की स्थापना के लिए उठाए जाने वाले कदमों तथा आईआरजीएफ के फ्रेमवर्क पर चर्चा करने हेतु दिनांक 11.5.2026 को संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग की अध्यक्षता में एक आगामी बैठक आयोजित की गई। एक कार्य समूह का गठन किया गया, जिसमें एनएबीएफआईडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तथा एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधि शामिल थे। यह कार्य समूह एक विस्तृत कॉन्सेप्ट नोट प्रस्तुत करेगा, जिसमें विभिन्न पहलुओं जैसे- कवर किए	
---	---	--

	समिति आगे नवयुगीन तथा सामाजिक अवसंरचना को प्राथमिकता देने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) में रणनीतिक परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल देती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वित्तीय सहायता केवल मांग-आधारित न रहकर संपोषणीय परियोजनाओं की ओर सक्रिय रूप से निर्देशित हो। निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को वैश्विक पूंजी के प्रमुख केंद्र के रूप में जीआईएफटी आईएफएससी का लाभ लेकर और कानूनी निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र को शीघ्र क्रियाशील बना कर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परिस्थिति तंत्र सुदृढ़ करना होगा। समिति घरेलू प्रौद्योगिकी क्षमता तथा दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन में ठोस और वास्तविक सुधार करके बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता और सरल स्वीकृति प्रक्रियाओं जैसी गैर-आर्थिक रियायतों के माध्यम से प्रक्रियागत अवरोधों को दूर करने के प्रयासों में तेजी लाने तथा राज्यों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने की भी सिफारिश करती है।	जाने जोखिम, लिए जाने वाले परियोजना/क्षेत्र का प्रकार, आवश्यक कवरेज का स्तर, गारंटी के प्रकार (फर्स्ट लॉस/सेकंड लॉस/पोर्टफोलियो आदि) तथा अनुमानित कॉर्पस की आवश्यकता-को शामिल किया जाएगा। कार्य समूह को दिनांक 30.06.2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।		
11.	समावेशी और सतत विकास समिति समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहु-क्षेत्रीय सुधारों की सराहना करती है, जैसे कि एसडब्ल्यूएमआईएच (किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो) फंड के 61,000 घरों की डिलीवरी	सरकार इस बात से अवगत है कि घटती और विखंडित भूमि जोत कृषि उत्पादकता और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लिए संरचनात्मक चुनौतियां सृजित कर रही है। इन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए, सरकार ने नीति और प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों को एकसाथ कर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। छोटी और खंडित जोतों की व्यवहार्यता में सुधार करने के प्रयासों के भाग के रूप में, सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, फसल सघनता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के	सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा	

और सामाजिक सुरक्षा संहिता द्वारा गिग श्रमिकों की औपचारिक मान्यता। समिति ने यह भी नोट किया कि वर्ष 2026-27 की बजटीय रणनीति "पूँजी-गहन पूर्वाग्रह" प्रदर्शित करती है जो महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतराल को ओवरलुक कर सकती है। विशेष रूप से, उच्च तकनीक एआई कौशल का प्रभाव माध्यमिक शिक्षा में "डिजिटल ड्रॉपआउट" प्रवृत्ति से अलग प्रतीत होता है, जबकि वीबी-ग्राम जी (रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत-गारंटी अधिनियम का 125 दिनों तक विस्तार - 60:40 राज्य-वित्त पोषण अलगवा के बावजूद - उत्पादक शहरी प्रवास के लिए संपर्क के बजाय स्थायी संकट सुरक्षा नेट बनने का जोखिम उठाता है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में, जबकि डिजिटल कृषि मिशन और एग्रीस्टैक तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं, वे भूमि विखंडन की लगातार संरचनात्मक बाधाओं और गैर-संस्थागत ऋण संबंधी 25% निर्भरता को पूरी तरह से कम नहीं करते हैं जो छोटे किसानों को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, समिति अनुशंसा करती है कि आर्थिक कार्य विभाग विधायी समेकन से आगे बढ़कर केयर ईकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क को मापने योग्य, परिणाम-उन्मुख कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ाए। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि	लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और फसल विविधीकरण कार्यक्रम जैसी योजनाएं कार्यान्वित की हैं। सरकार का डिजिटल कृषि मिशन समर्थानशीलता, उत्पादकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण को अपनाता है। इसके मूल में, एग्रीस्टैक भूमि विखंडन और पुराने भूमि रिकॉर्ड जैसे मुद्दों का समाधान करते हुए किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड और लेनदेन को एकीकृत करके, डेटा-संचालित शासन को सक्षम करके, योजनाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण और संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच को एकीकृत करके एक डिजिटल सार्वजनिक अवसर-संरचना फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, किसान रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गांव के नक्शे और डिजिटल फसल सर्वेक्षणों को एकीकृत करने से आधार और भूमि पार्सल से जुड़ी एक एकीकृत किसान आईडी का निर्माण संभव हो सकता है। यह सटीक भूमि रिकॉर्ड की सुविधा प्रदान करता है और पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई, एमएसपी खरीद, ऋण पहुंच, इनपुट वितरण और आपदा राहत जैसी डीबीटी योजनाओं सहित लाभों के निर्बाध वितरण का समर्थन करता है। दिनांक 04.02.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 8.48 करोड़ से अधिक किसानों की आईडी तैयार की गई हैं। इसके अलावा, राज्यों को क्षेत्र-विशिष्ट उच्च मूल्य वाली फसलों, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को अपनाने के लिए समर्थन दिया जाता है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (एसएचएंडएफ), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जैविक और टिकाऊ खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), किसानों को जलवायु-अनुकूल, उच्च मूल्य और	उपायों को लागू कर रही है। स्वीकार नहीं किया गया: आर्थिक कार्य विभाग द्वारा को अलग मूल्यांकन नहीं किया गया है यह माना गया है कि मौजूदा आर्थिक संकेतकों को जीएसटी सुधारों के प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।	
---	--	--	--

	सामाजिक सुरक्षा कोष में अनिवार्य 1-2% एग्रीगेटर अंशदान को पोर्टेबल लाभ प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित किया जाता है जो वास्तव में अनौपचारिक कार्यबल तक पहुंचता है। शिक्षा के क्षेत्र में, विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई मॉड्यूल माध्यमिक विद्यालय अवसरचना, विशेष रूप से भारत नेट के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के मूलभूत सुदृढीकरण का अधिक्रमण न कर दे। ग्रामीण और कृषि समुत्थानशीलता के लिए, समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह भूमि विखंडन का समाधान करने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) मॉडल को और अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहित करे और जीएसटी (माल और सेवा कर) सुधार 2.0 का औपचारिक राजकोषीय प्रभाव मूल्यांकन करे। इस तरह का आकलन यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या सरलीकृत टू-रेट संरचना में परिवर्तन और आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कटौती प्रभावी रूप से घरेलू खपत को प्रोत्साहित कर रही है और राज्य स्तर पर अस्थिर राजकोषीय अंतराल सृजित किए बिना एमएसएमई का समर्थन कर रही है।	विविध फसलें¹ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) जैसी योजनाएं। ब्याज सहायता स्कीम, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएम), विस्तार संबंधी सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) आदि जैसी सरकार की पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों (छोटे और सीमांत किसानों सहित) को भी सहायता प्रदान की जाती है²। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं; भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार उपयुक्त नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है³। भारत सरकार वर्ष 2020 से 10,000 किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रही है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को सामूहिक रूप से संगठित किया जा सके और उन्हें अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत को कम करने और उनकी कृषि उपज के एकीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत, तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रति किसान सदस्य 2,000 रुपये तक का मैचिंग इक्विटी अनुदान, जो प्रति एफपीओ 15.00 लाख रुपये	
--	--	---	--

¹ राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 का उत्तर दिनांक 27.03.2026 को दिया गया।

² राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 का उत्तर दिनांक 27.03.2026 को दिया गया।

³ राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 512 का उत्तर दिनांक 29.11.2024 को दिया गया।

		की सीमा के अधीन है और प्रति एफपीओ परियोजना ऋण के लिए 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, क्लस्टर-आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक एफपीओ को सहायता प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, उक्त योजना के तहत 10,000 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। इन पहलों ने लाखों छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक खेती, इनपुट खरीद, मूल्यवर्धन और बेहतर बाजार पहुंच को सक्षम करके कम होती हुई भूमि जोत की सीमाओं को दूर करने के लिए सशक्त बनाया है।⁴ किसानों की संस्थागत ऋण में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-⁵ i. बैंकों को जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दिशानिर्देश और सरकार द्वारा बैंकों को आधारभूत स्तर पर कृषि ऋण (जीएलसी) लक्ष्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कवरेज को बढ़ाने और किसानों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में प्रमुख नीतिगत साधनों के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के संबंध में जारी किए गए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और वेतनभोगी बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) सहित वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का न्यूनतम 18% अथवा तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर (सीईओबीएसई) के समतुल्य ऋण आबंधित करना अनिवार्य है जिसमें से कृषि के लिए जो भी अधिक हो, का 10 प्रतिशत उप-लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, पीएसएल दिशा-		
--	--	---	--	--

⁴ राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 का उत्तर 27.03.2026 को दिया गया।

⁵ <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246855®=3&lang=2>

		निर्देशों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (जिसमें कृषि और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण भी शामिल है) को ऋण के तुलनात्मक रूप से कम प्रवाह वाले जिलों के लिए एक प्रोत्साहन फ्रेमवर्क और कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह के अधिक समान वितरण हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तुलनात्मक रूप से उच्च प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन फ्रेमवर्क भी निर्धारित किया गया है। ii. वर्ष 2019 से, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कवर करने के लिए केसीसी योजना का विस्तार किया गया है। iii. भारत सरकार की संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएस) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। जो किसान समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर केवल 4% हो जाती है। iv. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित संपार्श्विक मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋणों की सीमा 01 जनवरी 2025 से प्रति उधारकर्ता 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये कर दी गई है। यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (क्षेत्र का 86% से अधिक) के लिए ऋण पहुंच को बढ़ाता है, जो कम उधार लेने की लागत और संपार्श्विक आवश्यकताओं को हटाने से लाभान्वित होते हैं। v. किसानों के बीच केसीसी योजना के लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए केंद्र/राज्य सरकारें, आरबीआई, नाबार्ड और बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल), वित्तीय साक्षरता शिविरों (एफएलसी) आदि के माध्यम से विभिन्न वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में जनता के सदस्यों के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) भी आयोजित करता है।		
--	--	---	--	--

		vi. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना में एटीएम-सक्षम डेबिट कार्ड, वन-टाइम दस्तावेजीकरण, क्रेडिट सीमा में लागत वृद्धि के लिए अंतर्निहित प्रावधान और स्वीकृत सीमा में बहु निकासी की सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। vii. जन समर्थ पोर्टल को किसान क्रेडिट कार्ड सहित सरकार प्रायोजित ऋणों और सब्सिडी योजनाओं को जोड़ने के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया है। यह ऋण के लिए आवेदन करने और आवेदक के डेटा के डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन प्राप्त करने का एक त्वरित और कुशल तरीका प्रदान करता है। नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए ई-केसीसी पोर्टल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से ऋण आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है, और किसान अपनी शाखाओं में जाए बिना आरआरबी और आरसीबी को अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। viii. इसके अलावा, कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ऋण आवेदनों की शुरू से अंत तक डिजिटल प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिससे भौतिक कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत यात्राओं की आवश्यकता कम हो गई है। उपरोक्त सभी उपायों ने गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भरता को 1950 में 90 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 2022 में लगभग 25.0 प्रतिशत कर दिया है⁶। केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए अवसंरचना विकास और समावेशी विकास दोनों पर जोर दिया गया है। वर्ष 2017-18 और 2026-27 के बजट अनुमान के बीच केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में चार गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई है।		
--	--	---	--	--

⁶ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25।

		अवसंरचना पर सार्वजनिक व्यय का उच्च गुणक प्रभाव होता है, जो अध्ययनों द्वारा मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5 से 3.5 गुना होने का अनुमान लगाया गया है। इस उल्लेखनीय वृद्धि ने भारत के भौतिक अवसंरचना में गुणात्मक परिवर्तन किया है, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूत गुणक प्रभाव पैदा हुआ है। अवसंरचना के साथ-साथ सरकार ने मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाकर समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। साथ ही, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत करके समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप में या केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में कार्यान्वित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से, यह कमजोर वर्गों का समर्थन करेगा और समग्र नागरिक कल्याण को बढ़ावा देना जारी रखता है। आर्थिक कार्य विभाग ने जीएसटी में कमी का कोई विशिष्ट अध्ययन या आकलन नहीं किया है। हालांकि, जीएसटी दरों में कमी से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम करके आम लोगों और निवेशकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे सामर्थ्य में सुधार होगा, जीवन यापन की लागत कम होगी और घरेलू खपत में सहायता प्रदान करेगा। दरों के युक्तिकरण से लेनदेन लागत कम होने, अनुपालन को आसान बनाने, अधिक औपचारिकरण को प्रोत्साहित करने और कराधार को व्यापक बनाने की भी संभावना है। क्षेत्र-विशिष्ट दरों में कटौती से निर्माण में लागत कम करने, ऑटोमोबाइल में मांग को बढ़ावा देने, जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच में सुधार करने और खिलौने, हस्तशिल्प और मानव निर्मित फाइबर जैसे श्रम-गहन एमएसएमई को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश का समर्थन करने की उम्मीद है। उच्च ई-वे बिल जनरेशन, विनिर्माण और सेवाओं के लिए बेहतर क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) रीडिंग, त्योहारों के समय में ऑटोमोबाइल की रिकॉर्ड बिक्री, मजबूत यूपीआई लेनदेन और ट्रैक्टर की बिक्री में वृद्धि सहित हाई-फ्रिक्वेंसी संकेतकों में रुझान ने जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन के बाद मजबूत आर्थिक गति का संकेत दिया है।		
--	--	--	--	--

		<u>वीबी- जी राम जी</u> वीबी-जी राम जी के तहत विस्तारित 125-दिवसीय रोजगार गारंटी केवल एक ऊपरी सीमा है और इसका मतलब अनिवार्य या निरंतर काम नहीं है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से मांग-संचालित, स्वैच्छिक और अकुशल शारीरिक काम चाहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए यह श्रमिकों की गतिशीलता को प्रतिबंधित नहीं करता है या बेहतर आजीविका के अवसरों की तलाश में लोगों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने से हतोत्साहित नहीं करता है। इसके अलावा, संकट सुरक्षा कवच के रूप में योजना की भूमिका सुविचारित है, क्योंकि यह परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है और सुचारु श्रम परिवर्तन का समर्थन करती है। वीबी-जी राम जी को एक ग्रामीण आजीविका और परिसंपत्ति-निर्माण फ्रेमवर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो व्यापक आर्थिक विकास का पूरक है; 60:40 केंद्र-राज्य साझाकरण पैटर्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फ्रेमवर्क के अनुरूप है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 पैटर्न एक अलग-अलग और सहकारी परिसंघीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। <u>एआई कौशल</u> सरकार उच्च प्रौद्योगिक एआई कौशल और माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने को प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के रूप में नहीं देखती है; बल्कि, उन्हें समानांतर में, मानव पूंजी रणनीति के पूरक भागों के रूप में पूरा किया जा रहा है। एआई और डिजिटल कौशल का उद्देश्य छात्रों और युवाओं को भविष्य के रोजगार बाजारों के लिए तैयार करना है, जबकि माध्यमिक विद्यालय की अवसंरचना, कनेक्टिविटी और मूलभूत शिक्षा में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों का उद्देश्य डिजिटल बहिष्करण को रोकना और ड्रॉपआउट के मुद्दों द्वारा हुए अंतर को कम करना है। तदनुसार, सरकार का उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी आधारित कौशल को एकीकृत करना है, जिससे वे अपनी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार चुनाव करने में सक्षम हो सकें। शिक्षा, कौशल और		
--	--	--	--	--

		डिजिटल अवसंरचना की पहल के माध्यम से, पहुंच का विस्तार करने, माध्यमिक स्कूली शिक्षा में प्रतिधारण में सुधार करने और लचीले रास्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो छात्रों को मूलभूत और भविष्य के लिए तैयार कौशल दोनों हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। साथ ही, सरकार एआई मॉड्यूल और मूलभूत शिक्षा अवसंरचना को प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के रूप में नहीं देखती है। डिजिटल कनेक्टिविटी सहित माध्यमिक विद्यालय की अवसंरचना को निरंतर मजबूत करने के साथ-साथ एआई-सक्षम शिक्षा का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रौद्योगिकी को अपनाता समावेशी, न्यायसंगत और मूलभूत शिक्षण परिणामों के लिए सहायक बना रहे। <u>देखभाल अर्थव्यवस्था (केयर इकोनॉमी) और सामाजिक सुरक्षा</u> सरकार नीतिगत डिजाइन से केयर इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि लाभ समय पर और पोर्टेबल तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। संचालन तत्परता, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और सुदृढ़ वितरण प्रणालियों पर जोर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनौपचारिक कार्यबल हेतु किए गए प्रावधानों को सार्थक जमीनी स्तर पर परिवर्तित किया जा रहा है। भारत सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत किया है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े श्रमिकों के लिए एक सरलीकृत स्व-पंजीकरण मॉड्यूल 12 मार्च, 2025 को लॉन्च किया गया था, जबकि एग्रीगेटर ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल को 12 दिसंबर, 2024 को ही प्रस्तुत कर दिया गया था। तब से, जोमैटो, ब्लिंकिट, अर्बन कंपनी, उबर, अमेज़ॅन, ओला, स्विगी, रैपिडो, ज़ेप्टो, डेल्हीवरी, फ्लिपकार्ट, पोर्टर और अन्य सहित 19 प्रमुख प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा, कवरेज का विस्तार करने के लिए तीन राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान आयोजित किए गए हैं, और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की कुल संख्या 9.98 लाख तक पहुंच गई है।	
--	--	--	--

		सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत, एग्रीगेटर्स को गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि में योगदान करने की आवश्यकता होती है। योगदान वार्षिक कारोबार के 1% से 2% पर निर्धारित किया गया है, जो प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भुगतान की गई या देय राशि के 5% की सीमा के अधीन है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य प्लेटफॉर्म-आधारित रोजगार की औपचारिक मान्यता का समर्थन करते हुए कार्यबल के तेजी से बढ़ते खंड हेतु मूलभूत सुरक्षा कवच का विस्तार करना है। 56वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर आधारित जीएसटी 2.0 सुधार, प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक नागरिक-क्रेन्द्रित और बहुक्षेत्रीय व्यापक आधारित दर युक्तिकरण अभ्यास का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दर युक्तिकरण उपायों का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करना, वहनीयता बढ़ाना, मांग को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास को सहायता देना था। कर योग्य आपूर्ति मूल्य को अर्थव्यवस्था में उपभोग का एक अच्छा संकेतक माना जा सकता है। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों में संशोधन लागू हुए, इसलिए सितंबर-मार्च अवधि के लिए कर योग्य आपूर्ति का विश्लेषण किया गया है। सितंबर-मार्च 2026 की अवधि में कर योग्य आपूर्तियों की वार्षिक वृद्धि की तुलना सितंबर-मार्च 2025 की अवधि में वार्षिक वृद्धि से करने पर यह स्पष्ट है कि जीएसटी दरों में कटौती से लाभान्वित होने वाले अधिकांश क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2025-26 में वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में काफी अधिक वृद्धि दर्ज की है। यह सुधार दर्शाता है कि कम कर दरों ने मांग को प्रोत्साहित किया होगा और कर आधार का विस्तार किया होगा। सितंबर-मार्च 2026 के दौरान, सभी प्रमुख चिन्हित क्षेत्रों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की, जिनमें से कई क्षेत्रों में 30% से अधिक की वृद्धि हुई। उपभोग-उन्मुख क्षेत्रों में, जिन्होंने मजबूत प्रदर्शन किया, जो घरेलू मांग में वृद्धि और सामर्थ्य में सुधार का संकेत देता है, उनमें मानव निर्मित वस्त्र फाइबर और फिलामेंट्स, वस्त्र, जूते, चमड़े के सामान, विद्युत मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यात्री कारें, दोपहिया वाहन और साइकिल, तैयार खाद्य पदार्थ आदि शामिल हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि जीएसटीएन द्वारा प्रदान		
--	--	---	--	--

		किया गया क्षेत्रवार कर योग्य मूल्य सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है और जीएसटीएन ने कुछ मान्यताओं के आधार पर अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके इसकी गणना की है। कुल मिलाकर, देखे गए विकास रुझान बताते हैं कि जीएसटी दरों में कमी का उत्पादन और उपभोग दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। निर्माण गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ घरेलू उपभोग में भी वृद्धि हुई है, जो आर्थिक गति में सुधार का संकेत देती है। चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी से सामर्थ्य में सुधार होने और उपभोग को बढ़ावा देने की उम्मीद है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां एमएसएमई की महत्वपूर्ण भागीदारी है। इसके परिणामस्वरूप, बाजार की मांग में मजबूती आने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होने और व्यापक क्षेत्रीय विकास और आर्थिक विस्तार को सुगम बनाने की संभावना है।		
12.	वृहद आर्थिक मुद्दें समिति ने नोट किया कि बजट की प्रस्तुति के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने संवर्धित उत्पादकता और वैश्विक अस्थिरता की प्रतिरोधकता के माध्यम से आर्थिक नीति में तेजी लाने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए तीन मार्गदर्शक कर्तव्यों पर जोर दिया; भारत के विकास में भागीदारों के रूप में लोगों की क्षमताओं को मजबूत करके उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना; और प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र के लिए सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना। इस पृष्ठभूमि में, समिति ने गंभीरता के साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बाजार में अस्थिरता और पश्चिम एशियाई संघर्ष से उत्पन्न होने वाली समुद्री देरी की "तीगुने संकट" की संभावना पर	जैसे-जैसे पश्चिम एशिया संघर्ष आर्थिक गतिविधियों पर दबाव डालना शुरू कर रहा है, 2026-27 के दौरान इसके राजकोषीय प्रभाव पड़ सकते हैं। इन उभरती विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, केंद्र सरकार सापेक्ष विवेक की स्थिति से वित्तीय वर्ष में प्रवेश करती है। हाल के वर्षों में राजकोषीय समेकन पथ का पालन किया गया है, बजट की 0.8 की सकल कर राजस्व उछाल की संरक्षणवादी धारणा के साथ मिलकर, जो ऐतिहासिक औसत से नीचे है, और सार्वजनिक खाते में एक आर्थिक स्थिरीकरण निधि का निर्माण, राजकोषीय हस्तक्षेप के लिए जगह प्रदान करता है। परवर्ती विशेष रूप से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से तुरंत विचलित हुए बिना हल्के तीव्रता के निकट अवधि की समस्याओं से निपटने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि, कुल सार्वजनिक व्यय में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, संघ स्तर पर राजकोषीय स्थान को राज्य स्तर पर एक मजबूत और सतत राजकोषीय स्थिति द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा पिछले तीन वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ा है, जो राज्य वित्त पर उभरते दबावों को दर्शाता है। वर्ष 2026-27 के लिए समग्र राज्य-स्तरीय राजकोषीय परिदृश्य इस चिंता	आंशिक रूप से स्वीकृत। सरकार जोखिम को पहचानती है और बाहरी समस्याओं से निपटने के लिए राजकोषीय स्थिरीकरण तंत्र और नीतिगत लचीलापन है, हालांकि कोई अलग फ्रेमवर्क प्रस्तावित नहीं किया गया है।	

ध्यान दिया। मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रदान किए गए परिदृश्य विश्लेषण के आधार पर, जबकि 7% से 7.4% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि और लगभग 2% मुद्रास्फीति 90 डॉलर प्रति बैरल तक तेल की कीमतों पर व्यवहार्य रहती है, 130 डॉलर प्रति बैरल की ओर वृद्धि 4.3% से 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को गंभीर रूप से अस्थिर कर सकती है। इसके अलावा, समिति विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में वैश्विक मंदी के बारे में आशंका व्यक्त करती है। समिति का मानना है कि जबकि वर्ष 2014-2023 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का एफडीआई लगभग 2.2% पर स्थिर रहा - जो 2.1% के वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन करता है - वैश्विक तरलता और भू-राजनीतिक बदलावों की हालिया सख्ती के कारण उच्च मूल्य वाले विनिर्माण और सीमांत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में "चाइना प्लस वन" निवेश प्रवाह को आकर्षित करने के लिए अधिक आक्रामक रणनीति की आवश्यकता है। समिति ने राजकोषीय परिसंघवाद में एक बड़े बदलाव पर ध्यान दिया क्योंकि सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-31	को पुष्टि करता है। अप्रैल 2026 के लिए आर्थिक कार्य विभाग की मासिक आर्थिक समीक्षा में विश्लेषण किए गए 18 राज्यों में से, नौ राज्यों ने 2026-27 के लिए राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है, जबकि दस राज्यों के 3.0 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की सीमा को पार करने की उम्मीद है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में राज्यों के राजस्व व्यय की संरचना में एक संरचनात्मक बदलाव पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें बिना शर्त नकद हस्तांतरण और अन्य प्रतिबद्ध व्ययों के लिए आवंटित हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। चूंकि ये हस्तांतरण उपलब्ध राजकोषीय स्थान के बढ़ते हिस्से को अवशोषित करते हैं, इसलिए उत्पादक पूंजीगत व्यय के विस्तार की गुंजाइश, विशेष रूप से सीमित राजस्व और बढ़े हुए घाटे के माहौल में तेजी से सीमित हो जाती है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने की 16वें वित्त आयोग की सिफारिश राज्यों को स्वयं के राजस्व संग्रहण हेतु प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी लक्षित पहलों का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले विनिर्माण और अग्रणी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना भी है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएण) 2.0 शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विस्तार करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।⁷ केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति के शुभारंभ का भी प्रस्ताव किया गया है, जो पांच वर्षों में ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के लिए भारत के एंड-टू-एंड इकोसिस्टम को मजबूत करना है।⁸ सरकार ने शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ, अनुसंधान और नवाचार के लिए रणनीतिक दिशा और प्रतिस्पर्धी	स्वीकृत। सरकार पहले से ही आपूर्त-श्रृंखला विविधीकरण और घरेलू मूल्यवर्धन के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और संबंधित उपायों को लागू कर रही है, जैसा कि कॉलम 4 में प्रस्तुत है। स्वीकृत। एफडीएमए (एनडीआई) नियमों की	
--	--	--	--

⁷ <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221522&lang=1®=3&utm>

⁸ <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=157147&ModuleId=3®=3&lang=1>

अधिनिर्णय अवधि के लिए शून्य राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) की सिफारिश की है। यह निर्णय इस अवलोकन से सृजित हुआ है कि आरडीजी ने ऐतिहासिक रूप से "राजकोषीय अनुशासन को कम किया है" और प्रतिरोधकता के बजाय अंतर्निहित निर्भरता, राज्यों को सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने या कर प्रशासन में सुधार करने में विफल रहा है। विशेष रूप से, समिति राज्य स्तर पर राजकोषीय लोकलुभावनवाद के जोखिमों के बारे में चिंतित है, जहां गैर-योग्य सब्सिडी और "बजट-तर उधार" (ओबीबी) का विस्तार ऐतिहासिक रूप से ऋण सीमाओं को दरकिनार करने के लिए किया गया है। समिति ने नोट किया कि वित्त वर्ष 2021-22 के बाद से, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राजकोषीय घाटे की रीपोर्टिंग में अनियमिता रोकने के लिए ओबीबी का राज्य द्वारा वहन किए गए मूलधन या ब्याज को अनुच्छेद 293(3) के तहत राज्य ऋण के रूप में सख्ती से पालन किया जाता है। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने सिफारिश की है कि आर्थिक कार्य विभाग अर्थव्यवस्था को 90 अमेरिकी डॉलर की सीमा से अधिक के तेल के झटकों से बचाने के लिए एक कार्यनीतिक ऊर्जा शमन फ्रेमवर्क तैयार करे।	वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एएनआरएफ अधिनियम, 2023 के तहत अनुसंधान राष्ट्रीय शोधन प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की भी स्थापना की है। छः वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ नवंबर 2025 में शुरू की गई अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना का उद्देश्य तेजी से बढ़ते और रणनीतिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के अधिक निवेश को उत्प्रेरित करना भी है। कुल मिलाकर, ये उपाय भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के भीतर एक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में स्थापित करने और उच्च मूल्य वाले विनिर्माण और अग्रणी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की दिशा में निर्देशित हैं। महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक हैं। उनके रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, सरकार ने 2023 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया ताकि 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक के रूप में अधिसूचित किया जा सके, जबकि अन्वेषण और खनन में अधिक निजी भागीदारी को सक्षम किया जा सके। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के माध्यम से एक मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि मूल्य श्रृंखला-अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में घरेलू क्षमताओं को मजबूत किया जा सके।⁹ प्रमुख उपायों में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी¹⁰, गहन अन्वेषण और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) के माध्यम से विदेशी परिसंपत्ति अधिग्रहण शामिल हैं। घरेलू दुर्लभ पृथ्वी इकोसिस्टम विकसित करने के लिए नीतिगत समर्थन भी दिया जा रहा है, जिसमें ₹7,280 करोड़ की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) विनिर्माण योजना भी शामिल है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 में एकीकृत खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे	समीक्षा सहित कॉलम 4 में प्रस्तुत किए गए कई सुधार पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं। स्वीकृत। सरकार राजकोषीय अनुशासन का समर्थन करती है और स्वयं के राजस्व संग्रहण को प्रोत्साहित करने में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के महत्व को नोट करती है।
---	--	---

⁹ <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NotId=157165&lang=1®=3&utm>

¹⁰ <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2243514&lang=1®=1&utm>

इसके अलावा, समिति इस बात पर जोर देती है कि महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए तेजी से विकसित वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जो सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, विद्युत गतिशीलता, रक्षा प्रौद्योगिकियों और वैकल्पिक ईंधन के विकास के लिए आवश्यक हैं, के लिए समन्वित राष्ट्रीय कार्यनीति की आवश्यकता है। समिति, इसलिए, सिफारिश करती है कि लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सरकार विविध अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के प्रयासों में तेजी लाए, साथ ही अक्षय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियों सहित उभरते क्षेत्रों की सहायता करने के लिए घरेलू अन्वेषण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन क्षमताओं को सुदृढ़ करे। निवेश के संबंध में, विभाग को वैश्विक गिरावट के रुझान का मुकाबला करने के लिए एफडीआई विनियामक फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी के लिए एक वरीयता प्राप्त स्थान बना रहे। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद संस्थागत निवेशकों को आकृष्ट करने और बनाए रखने के लिए फ्रेमवर्क में सिंगल-विंडो अनुमोदन, उच्च-मूल्य विनिर्माण और सीमांत प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए त्वरित अन्नापत्ती और लक्षित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) से जुड़े वित्तीय लाभ सहित क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन शामिल होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है	खनिज समृद्ध राज्यों में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर के विकास की घोषणा की गई है, जिससे घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत किया जा सके और आयात निर्भरता कम हो सकेगी। समानांतर में, भारत खनिज समृद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय साझेदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत कर रहा है तथा प्रतिरोधक और विविध महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने के लिए खनिज संरक्षा साझेदारी (एमएसपी) और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) जैसी बहुपक्षीय पहलों में भागीदारी कर रहा है।¹¹ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और समय की अवधि में सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक है। वर्ष 2014 से, भारत सरकार ने देश की निवेश स्थिति को बढ़ाने और इसे दोनों घरेलू तथा वैश्विक विदेशी निवेशकों से बेहतर निष्पादन करने वाले आकर्षक स्थान बनाने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधारों और नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला शुरू की है। कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं: (i) भारत सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने, विश्व स्तरीय बुनियादी फ्रेमवर्क का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई। मेक इन इंडिया 2.0 वर्तमान में 27 क्षेत्रों (15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित) पर केंद्रित है और इसे मंत्रालयों, विभागों और राज्यों में लागू किया जा रहा है। प्रमुख पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, जीआईएस-सक्षम औद्योगिक भूमि बैंक, एफडीआई नीतिगत सुधार, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, परियोजना निगरानी समूह,	
---	--	--

¹¹ <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NotelId=157165&lang=1®=3&utm>

	कि समिति अनुशंसा करती है कि विभाग राज्यों को आरडीजी से पारगमन करने में सहायता के लिए एक "संरचनात्मक सुधार ब्रिज" की सुविधा प्रदान करे। इसमें राजस्व व्यय के सफल युक्तिकरण के लिए "पूँजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता" को जोड़कर राजकोषीय लोकलुभावनवाद को हतोत्साहित करने के लिए एक कठोर तंत्र शामिल होना चाहिए। ओबीबी रिपोर्टिंग के सख्त अनुपालन को लागू करके और राजकोषीय विवेक को बढ़ावा देकर, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आरडीजी के बाद के युग में पारगमन के बाद राष्ट्र के आंतरिक आर्थिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जाए।	प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना (बीएचएवीवाईए), राष्ट्रीय लोजिस्टिक्स नीति, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास कार्यक्रम और व्यापार में सुगमता तथा अनुपालन संबंधी बोझ को काम करने के उपाय शामिल हैं। (ii) मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू किया गया है, जिनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, थोक दवाएं, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी, सौर पीवी मॉड्यूल, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, विशेष इस्पात, घरेलू उपकरण (व्हाइट गूड), ड्रोन और ड्रोन घटक शामिल हैं। पीएलआई योजनाओं को पहचाने गए नवीन क्षेत्रों में नए निवेश और विनिर्माण क्षमताओं की वृद्धि की सहायता हेतु सुवधाकृत किया गया है। पीएलआई योजनाओं ने ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को सृजित किया है, जिससे 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार ₹20.41 लाख करोड़ से अधिक का वर्धित उत्पादन और बिक्री हुई है। (iii) निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश पर एफडीआई नीति की समीक्षा की है और डीपीआईआईटी द्वारा 2026 श्रृंखला का प्रेस नोट 2 जारी किया गया है, जिसमें पूँजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक पूँजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, पॉलीसिलिकॉन और इंगोट-वेफर में विनिर्माण के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों/गतिविधियों में लाभकारी स्वामित्व और समयबद्ध अनुमोदन (60 दिनों के भीतर) पर स्पष्ट मानदंड प्रदान किए गए हैं। एफडीआई नीति में किए गए संशोधन निवेशक विश्वास में वृद्धि और	
--	--	---	--

		स्तरतूप और डीप-टेक प्रद्योगिकी सहित, अधिक पूंजीगत अंतर्वाह को सुविधाकृत करने हेतु लक्षित हैं। (iv) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति बनाई है, जिसमें कुछ कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। (v) भारत अवसंरचना के विकास और व्यावसायिक वातावरण में सुधार के अलावा, निवेश आकर्षित करने के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करने, एफडीआई सीमा को बढ़ाकर वैश्विक निवेशकों के लिए अपने क्षेत्रों को खोलना जारी रखता है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय बजट 2025 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई क्षेत्रीय सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% तक बढ़ाने की घोषणा की गई। (vi) व्यापार करने में सुगमता के दृष्टिकोण से, केंद्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने घोषणा की है कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों (पीआरओआई) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी लिखतों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, योजना के तहत एक व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है, जिसमें सभी व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए समग्र निवेश सीमा मौजूदा 10% से बढ़ाकर 24% कर दी गई है। (vii) केंद्रीय बजट में सरकार ने भारत की विकसित आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप, विदेशी निवेश के लिए एक अधिक समकालीन, उपयोगकर्ता के अनुकूल फ्रेमवर्क बनाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियमों की व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की है। एनडीआई नियमों की समीक्षा के लिए एक बहु-हितधारक आंतरिक समिति का गठन किया		
--	--	--	--	--

		गया है जिसमें आर्थिक कार्य विभाग, डीपीआईआईटी और आरबीआई के प्रतिनिधित्व शामिल हैं। डीपीआईआईटी एफडीआई पर सभी नीति संबंधी मामलों के लिए नोडल विभाग है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबंधित मामलों को भी संभालता है तथा प्रत्यक्ष विदेशी एवं अनिवासी निवेश का संवर्धन करता है। डीपीआईआईटी द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), एक डिजिटल मंच है, जिसके द्वारा पोर्टल पर एफडीआई प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्रार्थित है।		
13.	इन राजकोषीय समायोजनों के बीच, समिति मुंबई में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) में लगातार बनी हुई संस्थागत बाधाओं को भी नोट करती है, जहां टाइप VIII सरकारी आवास की अनुपलब्धता उच्च स्तरीय न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की भर्ती में बाधा बनी हुई है। समिति पाती है कि जैसा की मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि "विशेष मामले" किराया-मुक्त व्यवस्था पर वर्तमान निर्भरता और तकनीकी सदस्यों को निचले स्तर के टाइप VI क्वार्टरों का आवंटन एसएटी जैसे श्रेष्ठ न्यायाधिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। परिणामस्वरूप, समिति सिफारिश करती है कि विभाग एक स्थायी आवास समाधान तलाशे, जिसमें ऐसे समर्पित क्वार्टरों को किराए पर लेने या उनका निर्माण करने की बात शामिल हो, जो न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के कद के अनुरूप आवासीय सुविधा प्रदान करता है।	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के लिए एक स्थायी आवास व्यवस्था को ठोस रूप देने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग ने संपदा निदेशालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से, अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की पात्रता के अनुरूप, मुंबई में सरकारी आवास (टाइप VIII) प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच का अनुरोध किया है। साथ ही, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से महाराष्ट्र राज्य सरकार से पीठासीन अधिकारी और एसएटी के सदस्यों की आधिकारिक स्थिति के अनुरूप उन्हें उचित आवास उपलब्ध कराने संबंधी संभावना पर चर्चा करने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में जानकारी का इंतज़ार है।	स्वीकृत	

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

परिशिष्ट-A

i. मुख्य शीर्ष: 4059- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय

Sl. क्र.सं.	प्रस्ताव/ कार्य का नाम	संशोधित अनुमान 2026-27 बजट अनुमान 2027-28 के लिए मांग	अब तक की प्रगति
1.	नई दिल्ली में 10, BSZ स्थित पुराने CAG भवन का 500 के फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) के साथ पुनर्विकास।	अनुमानित लागत (RCE) - ₹400.00 करोड़ (RE 2026-27 में ₹5.00 करोड़ और BE 2027-28 में ₹100.00 करोड़ अतिरिक्त)।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा 22.05.2026 को मंजूरी दी गई।
2.	कॉटन ग्रीन्स, मुंबई में नया ऑफिस बिल्डिंग बनाना। ₹350 करोड़।	अनुमानित लागत (RCE)- ₹350.00 करोड़ (RE 2026-27 में ₹5.00 करोड़ अतिरिक्त और BE 2027-28 में ₹100.00 करोड़)।	नए ऑफिस के निर्माण के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए 23.06.2026 को ₹5,62,04,000/- की प्रशासनिक मंजूरी और खर्च की मंजूरी जारी की गई थी। साथ ही, ज़मीन की अस्थायी फेंसिंग, लेवलिंग और ड्रेसिंग के लिए 23.06.2026 को ₹19.54 लाख की प्रशासनिक और खर्च की मंजूरी जारी की गई थी। टेंडर से पहले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत, इन कामों के लिए क्रमशः ₹1,68,61,000/- और ₹19.84 लाख जारी किए गए हैं।
3.	अमरावती में ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण। ₹ 350 करोड़।	अनुमानित लागत (RCE)- ₹350.00 करोड़ (RE 2026-27 में ₹5.00 करोड़ अतिरिक्त और BE 2027-28 में ₹100.00 करोड़)।	व्यापक परामर्श सेवाओं के अनुमान के लिए 29.06.2026 को ₹5,63,90,000/- की प्रशासनिक मंजूरी और खर्च की मंजूरी जारी की गई। इसके अनुसार, इस काम के लिए ₹1,69,00,000/- जारी किए गए हैं।

4.	हैदराबाद में CoEFA ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण।	अनुमानित लागत (RCE)- ₹ 200.00 करोड़ (RE 2026-27 में ₹5.00 करोड़ अतिरिक्त और BE 2027-28 में ₹100.00 करोड़)।	तेलंगाना सरकार ने 23.04.2026 के मेमो के अनुसार, खास तौर पर CoEFA की स्थापना के लिए हैदराबाद के शमशाबाद में 10 एकड़ ज़मीन मुफ्त में आवंटित की है। जून 2026 के पहले हफ्ते में ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया गया। CPWD को ज़रूरी शुरुआती कामों (जैसे अस्थायी फेंसिंग, सर्वे प्लान, मिट्टी की जांच की रिपोर्ट) के लिए एस्टीमेट बनाने का अनुरोध भेजा गया है। बाउंड्री वॉल की जगह अस्थायी फेंसिंग का प्रस्ताव है। मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
5.	रांची में CAG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 बिस्तरों वाले लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल का निर्माण।	अनुमानित लागत (RCE)- ₹17.00 करोड़ (RE 2026-27 में ₹5.00 करोड़ अतिरिक्त और BE 2027-28 में ₹12.00 करोड़)।	मुख्यालय को 12.05.2026 को ₹21,86,30,000/- (अनुमानित लागत) का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो सक्षम वित्तीय प्राधिकरण द्वारा मंजूरी की प्रक्रिया में है।
6.	IA&AD कार्यालयों में अपग्रेडेशन, नवीनीकरण, बड़े मरम्मत/सेवाओं आदि से संबंधित कार्य। (₹93.00 करोड़)	RE 2026-27 में ₹3 करोड़ और BE 2027-28 में ₹90.00 करोड़ अतिरिक्त।	कुल ₹16 करोड़ के आवंटित बजट में से, अब तक (यानी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के भीतर) ₹13.90 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। कई कार्यों की समीक्षा की जा रही है और वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान कई अतिरिक्त कार्य भी शुरू किए जाने की संभावना है। इसलिए, ज़रूरी धनराशि की उपलब्धता आवश्यक है।
		₹1410.00 करोड़ (RE 2026-27- ₹44.00 करोड़ और BE 2027-28- ₹502.00 करोड़ और बाकी रकम बाद के वर्षों में।)	

i. मुख्य शीर्ष: 4216- आवास पर पूंजीगत व्यय

क्र.सं.	प्रस्ताव/ कार्य का नाम	संशोधित अनुमान 2026-27 बजट अनुमान 2027-28 के लिए मांग	अब तक की प्रगति
1	भांडुप (फेज़-II), मुंबई में आवासीय क्वार्टर का निर्माण।	अनुमानित लागत (RCE)- ₹100.00 करोड़ (RE 2026-27 में ₹5.00 करोड़ अतिरिक्त और BE 2027-28 में ₹50.00 करोड़)।	फेज़-II का प्रस्ताव मंजूरी के लिए 24.06.2026 को मुख्यालय में प्राप्त हुआ है। इस पर कार्रवाई की जा रही है।
2	अमरावती में रिहायशी कॉम्प्लेक्स का निर्माण।	₹106.34 करोड़ (RE 2026-27 में ₹6.34 करोड़ अतिरिक्त) और BE 2027-28 में ₹100.00 करोड़।	आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पहले ही भुगतान की गई राशि के बदले 04.06.2026 को ज़मीन आवंटित करने के लिए लिखा गया है। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
3	iCISA, नोएडा में 25 टाइप-V क्वार्टर का निर्माण। ₹ 50 करोड़।	अनुमानित लागत (RCE)- ₹ 50.00 करोड़ (RE 2026-27 में ₹ 5.00 करोड़ अतिरिक्त और BE 2027-28 में ₹ 45.00 करोड़)।	अतिरिक्त क्वार्टर बनाने की मंजूरी के लिए नोएडा अथॉरिटी के साथ बिना किसी अतिरिक्त लागत के 150 के संशोधित FAR (फ्लोर एरिया रेश्यो) पर बात की गई है। नोएडा अथॉरिटी ने 26 मई को बिना किसी लागत के संशोधित FAR को मंजूरी दे दी है। आर्किटेक्चर-कंसल्टेंसी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है।
4	हैदराबाद के यूसुफगुडा में रिहायशी कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास (SH: 40 यूनिट Type-III और 60 यूनिट Type-IV)।	अनुमानित लागत (RCE)- ₹100.00 करोड़ (RE 2026-27 में ₹5.00 करोड़ और BE 2027-28 में ₹50.00 करोड़ अतिरिक्त)।	रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 352 टाइप-B और 40 टाइप-A क्वार्टरों को गिराने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रोसेस में है।
5	पुरानी AG कॉलोनी, भुवनेश्वर का पुनर्विकास (SH: 84 टाइप-IV क्वार्टर और अन्य सुविधाओं का निर्माण)।	₹122.00 करोड़ (RE 2026-27 में ₹5.00 करोड़ अतिरिक्त और BE 2027-28 में ₹100.00 करोड़)।	₹122 करोड़ (RCE) के मूल्य का प्रस्ताव मंजूरी के लिए 19.01.2026 को मुख्यालय में प्राप्त हुआ है और यह प्रक्रियाधीन है।
6	चंडीगढ़ में विभाग प्रमुख / समूह अधिकारी के रिहायशी यूनिट्स के लिए ज़मीन का अधिग्रहण।	अनुमानित लागत (RCE)- RE 2026-27 में ₹37 करोड़।	एस्टेट मैनेजर ने 02.06.2025 के पत्र के ज़रिए चंडीगढ़ के सेक्रेटरी (एस्टेट्स) से सेक्टर 42 C, चंडीगढ़ में ज़मीन की उपलब्धता और स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया है। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

7	अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आवासीय परिसर के लिए ज़मीन का अधिग्रहण।	अनुमानित लागत (RCE)- BE 2027-28 में ₹30.00 करोड़।	रिहायशी ज़मीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। राज्य सरकार ने 7,133 वर्ग मीटर ज़मीन की पेशकश की है। CPWD से 28.04.2026 को मिट्टी की जांच करने और निर्माण की संभावना का आकलन करने का अनुरोध किया गया है। फ़ील्ड ऑफ़िस द्वारा लगभग ₹5.00 लाख का प्रारंभिक अनुमान (P.E.) भेजा जा रहा है।
8	बेंगलुरु में विभाग प्रमुख / समूह अधिकारी के लिए आवासीय भूमि का अधिग्रहण।	अनुमानित लागत (RCE)- BE 2027-28 में ₹150.00 करोड़।	फिलहाल, एस्टेट मैनेजर सक्रिय रूप से ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
9	शिमला में विभाग प्रमुख और समूह अधिकारी के लिए ज़मीन/आवासीय इकाइयों का अधिग्रहण/खरीद।	अनुमानित लागत (RCE)- BE 2027-28 में ₹1 करोड़ (टोकन राशि)।	हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को 13/06/2025 को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि वे चिन्हित ज़मीन या सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली किसी वैकल्पिक जगह के जल्द हस्तांतरण को मंजूरी दें। इस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है।
10	AG ऑफिस कॉम्प्लेक्स, चेन्नई में आवासीय इकाइयों का निर्माण।	अनुमानित लागत (RCE)- BE 2027-28 में ₹50.00 करोड़।	एस्टेट मैनेजर ज़मीन की उपलब्धता का सक्रिय रूप से पता लगा रहे हैं।
11	IA&AD के रिहायशी परिसरों में अपग्रेडेशन, नवीनीकरण, बड़े मरम्मत/सेवाओं आदि से संबंधित कार्य (₹73.00 करोड़)।	RE 2026-27 में ₹3 करोड़ और BE 2027-28 में ₹70.00 करोड़ अतिरिक्त।	कुल ₹9 करोड़ के बजट में से अब तक ₹4.51 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है (यानी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान)। कई कार्यों की समीक्षा की जा रही है और वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान कई अतिरिक्त कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं। इसलिए, ज़रूरी धनराशि की उपलब्धता आवश्यक है।
		₹819.34 करोड़ (RE 2026-27- ₹75.34 करोड़ और BE 2027-28- ₹646.00 करोड़ और बाकी रकम बाद के वर्षों में।)	

Statement showing Action Taken on the Recommendations/Observations contained in the thirty-third Report of the Standing Committee on Finance (18th Lok Sabha) presented in Rajya Sabha/laid in Lok Sabha on 17.03.2026.

Recomm. Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the Government	Remarks
1.	The Committee observe a significant structural paradox in the budgetary allocation for Demand No. 30, where a total allocation of ₹1,31,327.37 crore representing a 62% increase over the original request masks a critical ₹685.11 crore shortfall in the Revenue Section. While the Capital Section received a massive ₹51,098.57 crore surplus, the revenue deficit threatens essential operational costs, including salaries and administration. During evidence, the Secretary, Department of Economic Affairs (DEA), clarified that this lopsided allocation is driven by non-discretionary capital obligations, specifically a ₹68,230 crore provision for the IMF's 16th General Quota Review contingent on an 85% global consent threshold currently at 76.37% and the establishment of a ₹49,600 crore technology-focused National Security Fund to be operated by the Ministry of Defence. The Committee, therefore, recommend that the DEA prioritize bridging the revenue gap at the Revised Estimates (RE) stage to ensure administrative stability and effective governance. Addressing this shortfall is critical not only to maintain uninterrupted functioning of essential services but also to uphold staff morale and institutional efficiency. A timely recalibration of revenue allocations would enable the Department to meet both operational and strategic objectives, ensuring that vital	In this regard, it is stated that ₹685.11 crore shortfall in the Revenue Section of the Grant No.30 does not threaten essential operational costs, including salaries and administration. The shortfall is mainly due to less funds allocated to Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) than projected by Department due to not knowing the exact figures for this scheme at the time of Pre - Budget meetings as appraisal for continuation of this scheme for next Finance Commission cycle was under process. Therefore, MoF reduced the Budget under IDEAS scheme stating that this shortfall will be taken care of at the time of RE 2026-27, by then IDEAS scheme would have been appraised for continuation under next Finance Commission cycle. Thus, it is stated that this shortfall in revenue section of the Grant No.30 does not interrupt the Department in any way from functioning of essential services and meeting its operational and strategic objectives. Further, the Committee's recommendation regarding prioritization of bridging the revenue gap at the Revised Estimates (RE) stage will be taken care of.	Accepted	

	programmes and commitments are executed without disruption.			
2.	The Committee note that for BE 2026-27, the Department of Expenditure has been allocated a total of ₹316.10 crore, which stands in stark contrast to the initially proposed requirement of ₹500.75 crore. The Committee observe that the "Salaries" head was significantly reduced to ₹80.50 crore against a proposed ₹85.00 crore, a move that may create severe operational bottlenecks and fiscal strain should the Department successfully fill its existing vacancies during the financial year. Furthermore, the Committee observe that a high pendency of Utilization Certificates (UCs) and the lack of real-time visibility in expenditure often lead to the inefficient "bunching" of funds in the final quarter, which undermines the quality of public spending and strategic financial planning. The Committee, therefore, recommend the absolute and stringent enforcement of "Utilization Certificate" (UC) compliance, advocating for a "No-UC, No-Release" policy to ensure accountability before the disbursement of subsequent central fund installments. The Committee further recommend that the Department aggressively expand the reach of the Public Financial Management System (PFMS) to the "last mile," ensuring seamless integration with state-level treasuries to eliminate time lags in fund utilization reporting. To move beyond mere financial outlays, the Committee recommend that the Department strengthen its "Outcome-based Budgeting" framework and enhance the capacity of internal	In this regard it is stated that the Department of Expenditure has been allocated a total of ₹525.53 crore against the initially proposed requirement of ₹562.49 crore. Further, the demand of ₹113.93 crore was proposed in the "Salaries" for the FY 2026-27, as per the requirement i.e. for promotions, new appointment in some vacancies. However, an amount of ₹98.75 crore have been allocated under head "Salaries" on the basis of expenditure trends of previous years. Remarks of the Committee have been noted for compliance and it is submitted that, in the event of any likely recruitment in the Current Financial Year, necessary steps shall be taken to augment the allocation as per extent Budgetary procedures. PFMS is now integrated with the treasuries of all 31 States and Union Territories with Legislatures, while Union Territories without Legislatures continue to operate under the Union Government Budget using PFMS. These integrations provide real-time visibility to Union Government Ministries, Departments, State Treasuries, and State Departments over fund utilization and expenditure, thereby directly addressing concerns of delayed reporting and inefficient fund bunching. Further, the Just-in-Time releases through the Public Financial Management System (PFMS) has made significant strides in the direction of real time monitoring of the expenditure. This framework has been operationalized for Central Sector Schemes through the Treasury Single Account (TSA) and Hybrid TSA module and for Centrally Sponsored Schemes via the Single Nodal Account – Samyochit Pranali Ekirit Shighra Hastantaran (SNA-SPARSH) module. The SNA-SPARSH mechanism	Accepted	-

	audit wings across all ministries to ensure that every rupee spent translates into measurable developmental outcomes.	facilitates last-mile outreach by adopting a bottom-up approach, wherein fund releases are synchronized with daily accumulated claims and invoices and money is directly credited to beneficiary/ vendor account. These reforms and integration of varied systems not only optimize fiscal discipline but also empower ministries, departments and states to make data-driven decisions, ensuring that public funds reach intended beneficiaries efficiently and effectively. Since 2019, the Government of India has been undertaking a rigorous annual exercise through the Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO), NITI Aayog to improve and strengthen outcome-based monitoring of Central Sector (CS) and Centrally Sponsored Schemes (CSS) of the Government of India. The key outputs and outcomes for respective schemes, along with their key indicators, are identified and finalized in consultation with the respective Ministries and Departments. As of now, monitoring of non-schematic expenditures and establishment expenditures falls outside the purview of the Output-Outcome Monitoring Framework (OOMF). For improving the effectiveness of the OOMF, the following measures have also been taken by the Department of Expenditure and NITI Aayog. (i) In the EFC Meetings for continuation of schemes during the 16th FC Cycles, the OOMF indicators and targets are being reviewed by the EFC along with achievements.		
--	---	---	--	--

		(ii) Annual OOMF review meetings are being conducted by NITI Aayog to understand and assess the underlying causes of any shortfall and their refinement. These meetings serve as a vital platform for structured discussion on indicators, implementation issues, and financial efficiency. (iii) Since it has been felt that the OOMF framework needs to be discussed at shorter intervals to review progress and understand the issues and challenges, in addition to the Annual OOMF review meetings, NITI Aayog now holds quarterly meetings with Ministries/Departments to review the progress of OOMF. As regard to enhance the capacity of Internal Audit Wings, it is stated that recommendations of the Committee have been noted for compliance. Necessary Instructions will be issued to all Ministries/Departments.		
3.	The Committee note a systemic governance deficit across Central Public Sector Enterprises (CPSEs), characterized by a "triple crisis" of leadership vacancies, funding shortfalls, and state capability gaps. As of February 2026, 53 CPSEs, including strategic entities such as Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) and BSNL, are operating without regular Chairmen and Managing Directors (CMDs), relying on temporary "additional charge" arrangements. This crisis in oversight is further acute for Independent Directors, with 533 vacancies against a requirement of 758—a staggering 70% vacancy rate. The Committee observes that the Department's total budget allocation of ₹29.60 crore for BE 2026-27 is heavily skewed toward non-scheme secretariat expenses (₹22.85 crore), leaving a 44% funding gap in the	The Leadership Development Programme named 'DAKSH' has been jointly developed by SCOPE in collaboration with the Capacity Building Commission (CBC) to offer a curated blend of individual development plans, classroom sessions, live projects, executive coaching, and immersive experiences ensuring holistic development to address the leadership development needs of Central Public Sector Enterprises (CPSEs). The participating CPSEs nominate their executives to the above program and bear the cost of the program. The Department of Public Enterprises (DPE) is implementing RDCR scheme wherein training programs/workshops are organized for executives of CPSEs/State Level Public Enterprises (SLPEs) in collaboration with leading academic and management institutes. The cost of these training programs/workshops is borne by DPE through RDCR scheme.	Accepted	

"Scheme" section (Research, Development, and MoU systems). This shortfall directly hampers the "professionalization of boards" and limits the Department's ability to address "system-level State Capability" gaps, specifically the shortage of in-house commercial expertise required for complex international investments.

The Committee further observe that the Memorandum of Understanding (MoU) system, intended as the principal performance management framework, currently suffers from significant deficiencies. Findings from the Committee's 2025 study visits reveal chronic delays in target finalization, "soft target setting" that leads to inflated 'Excellent' ratings, and an over-reliance on short-term financial indicators at the expense of qualitative performance. Furthermore, structural constraints—such as raw material shortages and delayed 109 modernization—are often incorrectly conflated with workforce productivity, while the absence of dedicated assessment mechanisms for subsidiary companies allows operational inefficiencies to remain obscured.

To address these multi-dimensional challenges, the Committee recommend the following comprehensive measures:

1. Fiscal and Structural Reforms: The Ministry of Finance must provide additional budgetary support at the Revised Estimate (RE) stage to fully fund the DAKSH initiative and advanced commercial training for executives. A Zero-Tolerance Vacancy Policy must be

The selection to Board level posts is undertaken by the Public Enterprises Selection Board (PESB) which is under the administrative jurisdiction of Department of Personnel & Training (DoPT). PESB has informed that the consolidated guidelines on filling up of Board level posts in CPSEs, circulated vide Estt. Officer, DOPT's D.O. No. 28/43(EO)/2013-ACC dated 29.08.2017, provide following timelines in respect of activities for filling up of the Board level posts for foreseen vacancies: -

Activity	Timeline
Finalisation/description/modification qualification/eligibility conditions	01 year 03 months before the date of occurrence of the vacancy
Issue of advertisement for a vacancy by PESB	01 year before the expiry of tenure of the incumbent, i.e. date of vacancy
Time for receipt of applications by the PESB	30 days
Time by which PESB recommendation should be available with Administrative Ministry	06 months before the date of vacancy

The aforesaid guidelines also stipulate that the overall responsibility for keeping track of the vacancies and filling them would be with the Secretary concerned. Further, PESB has developed a vacancy tracking dashboard for monitoring the vacancies.

MoU Framework Modernization:

Succession planning has already been incorporated as an MoU parameter. Further, the weightages assigned to MoU parameters

	implemented, requiring Public Enterprises Selection Board (PESB) selection processes to begin 12 months in advance of a scheduled retirement to ensure seamless transitions and avoid the prolonged use of additional charges. 2. MoU Framework Modernization: The Department of Public Enterprises (DPE) should evolve the MoU system into a Digital Performance Dashboard that mandates "Succession Planning" as a key performance indicator to bridge the "global operating depth deficit." The scorecard must be rebalanced to accord adequate weightage to physical parameters, product quality, and net foreign exchange impact, ensuring that targets are realistic yet sufficiently ambitious to differentiate routine performance from genuine excellence. 3. Operational Flexibility and Oversight: Dividend payout expectations should be reviewed in appropriate cases to allow CPSEs greater flexibility in retaining earnings for R&D and capacity expansion. Additionally, DPE must explore mechanisms for closer monitoring of subsidiary companies and ensure that evaluation frameworks distinguish systemic constraints from workforce productivity to maintain fair and objective performance assessments. By bridging the gap between "formal board architecture" and "system-level state capability," the Government can ensure that CPSEs transition into strategically indispensable global players capable of	are reviewed and calibrated by the High-Powered Committee headed by the Cabinet Secretary, and the parameters broadly covers all aspects of the performance of the CPSEs, be it quality, productivity, sustainability etc. and the targets are also kept reasonably aspirational. The number of CPSEs achieving the "Excellent" rating stood at 20 (out of 88) in FY 2022–23, 41 (out of 91) in FY2023–24, and 25 (out of 90) in FY 2024–25. This indicates that only a reasonable number of CPSEs have attained the "Excellent" rating, except the higher number in FY 2023–24 can be attributed to the exceptionally strong market performance of listed CPSEs during that year. The targets are kept aspirational, considering the historical performance of CPSEs, future projections, and sectoral vision. Performance monitoring of subsidiaries is undertaken by the holding CPSE while maintaining the intended spirit of the framework. Further, the performance assessment of holding CPSEs is carried out on a consolidated basis, taking into account the performance of their subsidiaries. Operational Flexibility and Oversight: Dividend declaration by CPSEs is governed by the extant guidelines issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) on Capital Restructuring of CPSEs. As per these guidelines, CPSEs are required to pay a minimum annual dividend of 30% of Profit After Tax (PAT) or 4% of net worth, whichever is higher, subject to statutory limits. DIPAM has informed that the suggestion for review of dividend payout expectations in appropriate cases is already being implemented. The said minimum dividend is only a benchmark, and CPSEs are expected to endeavour to pay higher dividend based on their financial position, and considering factors such as profitability, net worth, cash reserves, borrowing capacity and future growth plans. Further, the decision regarding declaration of dividend is taken by the Board of		
--	--	--	--	--

	competing in an increasingly complex and globalized market.	Directors of the respective CPSE, in compliance with the above guidelines and other applicable legal provisions. In case, any CPSE is not able to comply with any of the above guidelines, any specific exemption/relaxation is required to improve performance and efficiency of CPSEs, the same is placed and discussed in the Inter-Ministerial Forum, i.e., Committee for Monitoring of Capital Management and Dividend by CPSEs (CMCDC) which is chaired by Secretary, DIPAM, and relaxations/exemptions, if any, are provided for more operational and financial flexibility. The CPSEs are also encouraged to undertake R&D and capacity expansion through appropriate incentives embedded in the MoU ratings framework. Under the MoU framework, performance of CPSEs is evaluated by DPE at the holding company level, encompassing the performance of their subsidiaries and joint ventures. Additionally, holding CPSEs have been authorized to monitor their respective subsidiaries individually. The existing MoU mechanism adequately ensures comprehensive coverage of all key aspects of CPSE performance. The number of CPSEs achieving the “Excellent” rating stood at 20 (out of 88) in FY 2022–23, 41 (out of 91) in FY2023–24, and 25 (out of 90) in FY 2024–25. This indicates that only a reasonable number of CPSEs have attained the “Excellent” rating, except the higher number in FY 2023–24 can be attributed to the exceptionally strong market performance of listed CPSEs during that year. The targets are kept aspirational, considering the historical performance of CPSEs, future projections, and sectoral vision. Performance monitoring of subsidiaries is undertaken by the holding CPSE while maintaining the intended spirit of the framework. Further, the performance assessment of holding CPSEs is carried out on a consolidated basis, taking into account the performance of their subsidiaries.		
--	---	--	--	--

4.	The Committee note with appreciation the strategic shift from a purely "revenue-centric" disinvestment approach to a holistic Public Asset Management Strategy focused on "Value Maximization." This transition is evidenced by the remarkable 3.5x growth in the total market capitalization of listed CPSEs—from ₹12.10 lakh crore in 2021 to ₹42.76 lakh crore in early 2026—and a 174% increase in net profits per CPSE over five years. While the success of instruments like the Bharat Bond ETF has deepened the domestic bond market, the Committee are of the view that the ₹80,000 crore capital receipt target for FY 2026–27 remains contingent on volatile market conditions. To achieve the broader ₹16.72 lakh crore goal under the National Monetization Pipeline (NMP 2.0), the Department proposes utilizing pooled investment vehicles like InvITs and REITs. The Committee believe these instruments can unlock underutilized financial resources and provide a sustainable mechanism for financing "Viksit Bharat" 111 infrastructure, provided that the pressure to meet fiscal targets does not lead to the undervaluation of strategic national assets. The Committee view with deep concern that DIPAM, despite overseeing an ambitious value maximization agenda, has been allocated a modest budget of ₹55.92 crore and is operating with a crippling 43% vacancy rate. Maintaining only 51 officers against a sanctioned strength of 89—with critical shortages at the Director (11 vacancies) and Under Secretary (8 vacancies) levels—severely jeopardizes the Department's ability to execute	<u>Department of Investment and Public Enterprises</u> In respect of filling of vacant position, the DIPAM is actively pursuing the matter with the concerned Departments on priority basis and necessary coordination is being maintained with the Department of Personnel and Training (DoPT) and Department of Expenditure to expedite the matter. In respect to formulate road-map for InvITs and REITs, it is pertinent to mentioned that as per paragraph 35 of the Union Budget 2026–27 proposes accelerating the recycling of significant real estate assets of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) through the establishment of dedicated Real Estate Investment Trusts (REITs). In this context, a workshop was held on 1st April, 2026 in New Delhi, with participation from the Department of Economic Affairs (DEA), the Department of Public Enterprises (DPE), the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), and NITI Aayog, along with key stakeholders including CPSEs, Regulators, Financial Institutions, and market participants. The workshop focused on identifying practical pathways for the monetization of CPSE real estate assets through REIT structures. Consequent to the workshop, multiple stakeholder consultations have been held with CPSEs like NBCC, HUDCO, MTNL, BSNL, ITI along with regulators like SEBI. Further stakeholder consultations have also been held with private players in the industry, like the Indian REITs Association. Stakeholder consultations are also being held with investment bank to explore the financial features and structure of the REIT. Further, there is no proposal at present to reduce Government of India stake below 51% in CPSEs except in those cases where strategic disinvestment is being pursued as per approval of CCEA. <u>Department of Public Enterprises</u> Succession planning has already been incorporated as an MoU parameter. Further, the weightages assigned to MoU parameters	Accepted	
----	--	--	----------	--

	complex transactions like the IDBI Bank sale or finalize CPSE MoUs. Such significant manpower shortages in a field requiring highly specialized financial and legal expertise undermine the Department's capacity to effectively manage the disinvestment target and the recycling of prime real estate assets. To address these systemic challenges, the Committee recommend that the Ministry of Finance prioritize the filling of the 38 vacant officer positions on an emergency basis through immediate coordination with the DoPT and the Department of Expenditure. The Committee urge DIPAM to formulate a carefully calibrated roadmap for the rollout of InvITs and REITs, supported by robust valuation safeguards and a transparent oversight mechanism. Furthermore, the Department must finalize a clear legal strategy—incorporating "Golden Share" or indirect control models—to safeguard strategic autonomy in entities where state shareholding may drop below 51%. Finally, the MoU framework must be evolved into a high-performance tool that mandates "Succession Planning" and ensures that the push for dividend revenue does not starve CPSEs of the internal accruals necessary for their ₹3 lakh crore annual CapEx targets, which are essential for long-term profitable growth.	are reviewed and calibrated by the High-Powered Committee headed by the Cabinet Secretary, and the parameters broadly covers all aspects of the performance of the CPSEs, be it quality, productivity, sustainability etc. and the targets are also kept reasonably aspirational. The matter of dividend payout is handled by DIPAM. However, CPSEs are encouraged to undertake R&D and capacity expansion through appropriate incentives embedded in the MoU ratings framework. The existing MoU mechanism adequately ensures comprehensive coverage of all key aspects of CPSE performance. The targets are kept aspirational, considering the historical performance of CPSEs, future projections, and sectoral vision.		
5.	The Committee note that for the year BE 2026-27, the Department projected a requirement of ₹9,923.26 crore, but received an allocation of ₹6,834.28 crore, leaving a significant gap of ₹3,088.98 crore. The Committee observed that while the Revenue section is mostly covered,	Onus to consider additional requirement of funds rests with Ministry of Finance. Since RE 2026-27 leaves little time for execution, therefore, in light of the discussion with Ministry of Finance in pre-budget meeting, budgetary constraints and to maintain fiscal discipline, the proposal has been modified and it is proposed to operate total Capital requirement of ₹ 2736 crore over RE- 2026-27, BE 2027-28, BE 2028-29 and BE 2029-30 to achieve optimal	Accepted	Nil

the shortfall heavily impacts the Capital Section (allocated ₹192.50 crore against a demand of ₹2,277.81 crore), which is critical for office and residential infrastructure for staff. The Committee, therefore, recommend that the Ministry of Finance reconsider the capital allocation at the RE stage to prevent the stalling of essential infrastructure projects. The Committee further recommend that the Department utilize its allocated funds to prioritize the integration of advanced data analytics and forensic auditing tools, ensuring that the oversight of increasingly complex digital government expenditures remains robust despite the budgetary constraints.

utilization of the funds as stated below and demand of funds will be projected accordingly.

(₹ in crore)

RE 2026-27	BE 2027-28	BE 2028-29	BE 2029-30
362.04	1622.00	775.00	577.00

2. Further, with regard to the recommendation of the Hon'ble Committee to utilize its allocated funds to prioritize the integration of advanced data analytics and forensic auditing tools, ensuring that the oversight of increasingly complex digital government expenditure remains robust despite the budgetary constraints, it is stated that; the Comptroller and Auditor General (CAG) of India utilizes a diverse suite of specialized software applications and digital platforms to manage, execute, and modernize its auditing processes. These range from established audit management systems to advanced Artificial Intelligence (AI) protocols currently under development. With regards to **Data Analytics**, the CAG employs various Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) to handle large volumes of structured and unstructured data e.g.;

i) **IDEA & SQL**: Analytical tools used for high-volume structured data analysis.

ii) **Open Data Kit (ODK)**: A secure digital platform for designing, collecting, and managing data, often used for beneficiary surveys.

iii) **Python-based Automation**: Custom Python scripts are used to automate bulk document downloads and data filtering for specialized forensic audits, such as detecting cartelization in tenders.

iv) **MS Access and MS Excel**: Used for independent verification of ledger balances and critical calculations.

3. In addition to this, to enhance precision and efficiency, the CAG is moving toward a tech-driven "remote and hybrid" auditing model e.g.;

		i) CAG-LLM: An in-house Large Language Model (LLM) designed to help auditor's access decades of institutional knowledge and generate inspection reports more efficiently. ii) AI/ML Protocols: Advanced machine learning algorithms used for anomaly detection, risk assessment, and unearthing fraud cases in state beneficiary schemes. iii) PM GatiShakti & Geospatial Tools: Utilized to build evidence and ensure sectoral consistency through spatial analysis. 4. Further, CAG also integrates with various external government platforms to facilitate remote audits e.g.; i) Integrated Financial Management System (IFMS): For accessing state financial records. ii) WAMIS: For managing and auditing public works construction projects. iii) GePNIC: For auditing electronic government procurement processes. iv) e-Office and SPARROW: Internal administrative applications used to manage official correspondences and human resource data, and so on. Moreover, the Department has following Core In-House Audit Platforms e.g.; i) One IA&AD One System (OIOS): A comprehensive enterprise application designed to manage the entire audit lifecycle, from planning and execution to the generation of final audit reports. ii) CAG-Connect Portal: A unified digital interface that allows nearly 10 lakh auditee entities to respond directly to		
--	--	--	--	--

		audit queries, observations, and inspection reports, facilitating faster resolution and tracking. iii) Virtual Audit System: A paperless system integrated with Audit Online (specifically used for Panchayati Raj Institutions in West Bengal) that allows for remote certification. iv) Pursuit: A custom application developed using Java and Red Hat JBoss for the management and tracking of audit milestones. <i>** Figures under BE 2027-28 has been revised from ₹ 1343 crore to ₹ 1622 crore. Progress related to some of the main projects in hand under MH-4059 and 4216, is furnished in the attached Appendixes (A&B). [Page No. 79-82]</i>		
6.	The Committee note that for BE 2026-27, the net appropriation for Interest Payments is a staggering ₹14,03,971.19 crore, which represents a significant portion of the total Union Budget. The Committee observe that this includes ₹13,68,078.36 crore for interest on Internal Debt and ₹35,892.83 crore for External Debt, reflecting the growing cost of servicing the national debt in a volatile global interest rate environment. The Committee, therefore, recommend that the Department of Economic Affairs work closely with the RBI to optimize the borrowing calendar and explore innovative debt-reduction strategies to lower the interest burden over the medium term. The Committee further recommend enhancing the "Debt Management Strategy" to shift towards longer-maturity profiles, thereby reducing refinancing risks and freeing up revenue for productive capital investments. The Government should endeavour to move towards balanced budget in the long term.	The Government works closely with the Reserve Bank of India. The half-yearly borrowing calendar of the Government of India is brought out after thorough deliberations held with RBI during the meetings of the Monitoring Group of Cash and Debt Management. The focus of the strategy is to adopt a prudent and flexible market borrowing strategy to minimize interest burden over the medium term. Some of the strategies being used include buyback of securities (early redemption of higher coupon securities reducing interest burden) and switching of outstanding securities of a particular tenor (source securities) with securities of a different tenor (destination securities) helping in extending the maturity. Recently, after the presentation of the Union Budget 2026-27 on 1st February 2026, Government conducted switching of securities maturing in FY 2026-27 leading to reduction in estimated borrowing during 2026-27 by ₹ 1.11 Lakh crore. Switching/Buyback strategies are complemented by a half-yearly issuance strategy that seeks to elongate the tenor. This gradual shift towards a longer maturity profile is seen by the Weighted Average Maturity of G-secs. The Weighted Average Maturity of G-sec issuances during the year has shown an improvement from 14.49 years in 2020-21 to 18.88 years in 2025-26 and the Weighted	Accepted	

		Average Maturity (WAM) of the outstanding stock of G-sec has increased from 11.31 years in 2020-21 to 13.24 years in 2024-25. The committee's suggestion of moving towards a balanced budget has been noted. The fiscal stance of the Government has been to continue on a, "... path of fiscal consolidation, while making all efforts to achieve inclusive, equitable and sustainable growth. The fiscal policy would be focused towards building strong macro-economic fundamentals that can withstand exogenous shocks and global uncertainties."		
7.	The Committee note that the BE 2026-27 for the Repayment of Debt is allocated at ₹95,34,445.88 crore (Gross), which includes ₹94,59,383.97 crore for Internal Debt and ₹75,061.91 crore for External Debt. The Committee observe that a large portion of this repayment is technical in nature, involving the discharge of short-term instruments like Treasury Bills and Ways and Means Advances. The Committee, therefore, recommend the establishment of a more formalized "Sinking Fund" to manage the redemption of long-term bonds systematically. The Committee further recommend that the Department maintain high levels of transparency regarding "Off-Budget" liabilities to ensure the market has an accurate view of the total repayment obligations, thereby maintaining the stability of the sovereign credit rating.	Debt repayment obligations, including redemption of Treasury Bills, Ways and Means Advances, and Government's dated securities, are prudently managed through existing debt management framework. As noted by the Committee, about 68% of the appropriation granted by Parliament for FY 2026-27 is for repayment on account of 14 days T-Bills and Ways and Means Advances. 14-day T-Bills are a special window provided to States/UT with Legislatures to invest their cash surpluses. Since investment and disinvestment of the 14-day T-Bills cannot be precisely estimated, efforts are made to seek appropriation based on past trends. In a similar manner, appropriation under WMA enable the Government to ensure availability of cash to meet Gol transactions at all times. The Committee's suggestions for establishing a sinking fund is duly noted. However, such a fund will have to be financed out of borrowed resources. Thus, creation of such a fund will have to factor-in the fiscal implications of higher borrowings. Government has maintained highest transparency in budgeting, disclosing fully serviced bonds and other resources through a Statement of Extra-Budgetary Resources (Statement No 27) in the Expenditure Profile. The scope of Statement No 27 in Expenditure Profile, introduced in the July Budget of 2019-20 has progressively been expanded over the years. In the Budget for FY 2019-20 (July) the statement included scheme expenditure of the Gol met from Gol agencies, while in Budget 2020-21, the statement was expanded to include NSSF loans to Gol agencies. Further, in 2024-25,	Accepted	

		Statement 27-A was added to reflect the Extra Budgetary Resources raised by NHA and IRFC. The imperative for fiscal transparency is therefore a cornerstone of Government's fiscal framework.		
8.	The Committee note that the BE 2026-27 allocation for Pensions stands at ₹1,01,500.00 crore, which is slightly less than the projected demand of ₹1,01,767.00 crore. The Committee observe that with approximately 40,000 new pensioners added annually, the pressure on this demand is continuous, especially with the introduction of the Unified Pension Scheme (UPS) and its 114 associated reserve fund requirements. The Committee, therefore, recommend that the Department conduct a periodic actuarial valuation to ensure that the budgetary provisions are sufficient to meet the escalating long-term liabilities. The Committee further recommend the full digitalization of pension processing through the "Integrated Financial Management System" to eliminate delays in the "Pension Payment Order" (PPO) issuance for retiring employees.	<u>In respect of Recommendation of Committee regarding Periodic actuarial valuation of budgetary provisions:</u> To strengthen pensionary benefits for Central Government Employees covered under the National Pension System (NPS) while ensuring fiscal prudence, the Government constituted a Committee under the chairpersonship of the then Finance Secretary to examine pension requirements and long-term retirement security of NPS subscribers. Based on the Committee's assessment of demographic and economic factors and consultation with stakeholders, the Government introduced the Unified Pension Scheme (UPS) as an option under NPS with effect from 01.04.2025. The Cabinet approval of the scheme envisages that the Government contribution requirement will be reviewed periodically, preferably every three years. Therefore, the observation contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Finance regarding periodic actuarial assessment of the scheme, to ensure that budgetary provisions remain adequate to meet long-term liabilities, has already been addressed. Further, a non-lapsable Reserve fund has also been constituted during the year 2024-25 in the name of "Unified Pension Scheme for Government Employees" with reserve of Rs. 7000/- crore. During the year 2025-26 out of the above reserve an amount of Rs. 1850/- crore has been released for Government contribution towards UPS (Pool Corpus) to PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority). <u>In respect of Recommendation of Committee regarding End to End digitalization of pension processing:</u> The pension processing ecosystem involves multiple stakeholders, namely the Head of Office (HOO), Pay & Accounts Office (PAO), Central Pension Accounting Office (CPAO), and	Accepted	-

		CPPCs of Banks, GIFMIS O/o CGA (for PFMS) and Bhavishya introduced by DoPPW. The Head of Office serves as the pension sanctioning authority, the Pay and Accounts Office generates Pension Payment Orders(PPOs) and makes payment of various pensionary benefits, whereas CPAO issues Special Seal Authority(SSA) for making monthly payment of pension by Central Pension Processing Centre(CPPC)of banks which plays the role of Pension Disbursing Authority(PDA). In line with the Government's focus on process re-engineering and digital transformation, sustained efforts have been made to move towards end-to-end digitization of pension processing. For processing initial application of Pensioner HOO processes the application on Bhavishya portal which is an online system of pension processing and monitoring of pensionary benefits to Central Government civil employees. Further, for the ease of the pensioner, Government has notified new Single Pension Application Form-6A wherein multiple (9) forms and formats have been merged in a single form. This Form 6-A is also integrated in Bhavishya and retiring officials submit the Form 6-A with single e-sign in Bhavishya. CGHS is also integrated with Bhavishya which enabled retiring Government employees to apply CGHS cards through this portal. This ensured medical cover to all retiring Government employees from the very first day of retirement. The Bhavishya Portal is integrated with Pension module of PFMS for receiving electronic data of retiree. Sanctions for DCRG, Commuted Pension values and other pensionary benefits (except leave encashment and CGEGIS) are processed digitally for payment through pension module of PFMS (GIFMIS). This module supports authorization of various Pension types like Superannuation, Family Pension, VRS, Invalid Pension, NPS-related Pension and revision due to DA/Pay changes. It enables end-to-end digital processing of pension cases across Central Civil Ministries/Departments. After multi-level verification and digital signing of e-PPOs at PAO level this data is electronically and securely transmitted to CPAO through PFMS. Pension module of		
--	--	--	--	--

		GIFMIS also facilitate online generation and printing of e-PPO booklets, digital processing of Pension arrears, Fixed Medical Allowance(FMA) and handling of specific family Pension cases. It also supports online return process of Pension cases from CPAO to PAO and PAO to Bhavishya (HOO) for original pension as well as for revision of Pension case. This module significantly strengthens efficiency, accuracy and transparency on digitalization of Pension process. CPAO functions as central processing and authorization authority for the Central Civil Pensioners. CPAO has undertaken several initiatives to strengthen digitization of pension processing. The PARAS (Pension Authorisation, Retrieval and Accounting System) system has been implemented for electronic processing and tracking of pension cases. Data exchange between CPAO and bank CPPCs is being carried out through SFTP-based transmission to ensure timely and reliable flow of information. Further, Special Seal Authorities (SSAs) are being generated and transmitted electronically, eliminating the need for physical documents. All SSAs are issued electronically by CPAO and are directly accessed by the concerned CPPCs, thereby improving efficiency and reducing delays in pension authorization and payment. At present, CPAO exchanges data with banks through Secure File Transfer Protocol (SFTP) for transmission of ePPOs, eSSAs, eScrolls, and related data files. A well-established and secure mechanism is already in place for data exchange between CPAO and CPPCs, as well as between CPAO and GIFMIS-PFMS, utilizing SFTP-based transmission protocols. This ensures integrity, confidentiality, and reliability of data exchange across the pension processing ecosystem. All SSAs are issued electronically by CPAO and are directly accessed by the concerned CPPCs for pension authorization and payment. All CPPCs of the various banks submits e-scrolls regularly to CPAO which captures pension payment data. It plays a crucial		
--	--	---	--	--

		role in reconciliation by enabling comparison of actual payments made by banks with the authorized data available in PARAS. CPAO also provides a structured platform PGMIS (Pensioners' Grievance Management Information System) for receipt, tracking, and resolution of pension-related grievances. It enhances transparency and accountability while enabling CPAO to monitor service delivery and identify systemic issues. Complementing to this WRPS (Web Responsive Pensioner's Service) and DIRGHAYU mobile application (APP) provides online, user-friendly services to pensioners by enabling access to key information such as pension details, PPO status, and payment history. Together, WRPS and DIRGHAYU improve accessibility, user experience, and outreach, contributing significantly to digital service delivery for pensioners. These modules are being continuously upgraded in terms of types of pension cases handled, functionalities, simplification of forms, for ease of use of pensioner and all stakeholders.		
9.	The Committee note that the total allocation for BE 2026-27 under this demand is ₹2,88,866.56 crore, which encompasses Finance Commission Grants and other essential transfers. The Committee observe that the Sixteenth Finance Commission has not recommended any Revenue Deficit Grants (RDGs) for the 2026–31 period, signifying a major shift in the framework for performance-based incentives and resource distribution. Furthermore, the Committee observe that Off-Budget Borrowings (OBBs) by States are now strictly treated as their own borrowings under Article 293(3) of the Constitution. The Committee also observe an urgent need for the timely release of performance-linked and local body grants to prevent a liquidity crunch at the third tier of governance and ensure that	<u>Department of Economic Affairs</u> A. The total allocation in BE 2026-27 under Demand No. 42 (Transfers to States) is ₹3,94,183.52 crore, of which Finance Commission Grants is ₹1,29,396.60 crore. B. The 16th Finance Commission has not recommended any Revenue Deficit Grants for its award period FY 2026-27 to FY 2030-31. In this regard, the Commission has stated in Para 9.48 of its Report that <i>"Our review and assessment of State finances in general, and that of tax revenues, committed expenditure and discretionary expenditures in particular shows that there is significant scope of increasing revenues and rationalizing expenditure."</i> C. The 16th Finance Commission has introduced a new parameter, namely "Contribution to Gross Domestic Product (GDP)" with a 10% weightage, for determining the horizontal devolution of shareable taxes and duties among States. In this regard, the Commission has	Union Government has accepted the 16th Finance Commission's recommendation to retain the States' share at 41 per cent of the net proceeds (divisible pool) of Union taxes.	

	regional development projects are not stalled by administrative delays. The Committee, therefore, recommend that the Department strictly align fund releases with the Finance Commission's recommendations while prioritizing the reduction of time lags between the sanction and the actual transfer of funds for Centrally Sponsored Schemes. The Committee further recommend the establishment of a robust monitoring mechanism to ensure that "untied grants" are effectively 115 leveraged by States for sustainable infrastructure, thereby maintaining the spirit of cooperative federalism and balanced regional growth. Additionally, the Committee recommend that the Department maintain a stringent vigil over State OBBs to ensure regional fiscal discipline and uphold national debt sustainability, ensuring that all financial transfers translate into tangible ground-level outcomes.	inter-alia stated in Para 8.96 of its report that the contribution to GDP serves as a surrogate for efficiency-based criteria such as tax effort and fiscal discipline. Release of States' share of shareable taxable and duties is done by Budget Division, based on the Estimates of Taxes received from Department of Revenue. The same is released on timely basis [10th of every month, or the next working day (if 10th falls on a gazetted holiday)]. <u>Department of Expenditure (Transfer to States)</u> Instances of off-budget borrowings by certain State Public Sector companies, Special Purpose vehicles (SPVs) and other equivalent instruments, where principal and/or interest are to be serviced out of the State Budgets, had come to the notice of the Ministry of Finance. Considering the effect of bypassing the Net Borrowing Ceiling (NBC) of the States by such borrowings, it was decided and communicated to the States in March 2022 that borrowings by State Public Sector companies/corporations, Special purpose vehicles (SPVs) and other equivalent instruments, where principal and/or interest are to be serviced out of the State Budgets and/or by assignment of taxes/cess or any other State's revenue, shall be considered as Borrowings made by the State itself for the purpose of issuing the consent under Article 293(3) of the Constitution of India. Further, it is to state that Local Bodies grants (Rural and Urban local body grants) are released as per the recommendations of Nodal Ministries, after obtaining the Grants Transfer Certificate (GTC) from the State Governments, which indicate that the grants released from the central government have been transferred to the Local Governments. State governments are liable to pay interest for any delay beyond 10 working days.	Accepted	
--	--	---	----------	--

		Further, releases of Local Body Grants have been mapped with PFMS which ensures:- 1. Real-time fund tracking: Provides end-to-end monitoring of disbursements to ensure Local Bodies (Panchayats and Municipalities) incur expenditure as per norms/guidelines. 2. Enhanced Transparency and Accountability: The system tracks the exact flow of funds, ensuring that rural and urban local bodies adhere to financial guidelines. 3. Enforced Accountability: Ties expenditure to specific tied and untied local mandates, ensuring funds designated for sanitation, drinking water or infrastructure are appropriately used. 4. PFMS provides various stakeholders with a reliable and meaningful management information system.		
10.	The Committee note with appreciation the Government's strategic focus on capital expenditure as a primary driver of growth, particularly through the India Semiconductor Mission (₹76,000 crore), the IndiaAI Mission, and the NIIF's mobilization of global capital for critical infrastructure. However, the Committee observe significant disparity between the ambitious ₹10,000 crore SME Growth Fund announcement and the actual budgetary allocation of only ₹500 crore, a gap that risks a protracted 20-year rollout instead of providing the immediate equity support required to create "future champions." Furthermore, while the introduction of the Infrastructure Risk Guarantee Fund (IRGF) is a positive step toward improving bankability, the Committee observe a critical stagnation in frontier technology funding and a compelling need to bridge the technology gap in AI and data centers—sectors that now dictate global geopolitical and economic strength. Structural	Department of Economic Affairs (DEA) undertook a series of stakeholder consultations with financial institutions, Multilateral Development Banks (MDBs), Alternative Investment Funds, SME industry association, including a post budget webinar, to gather feedback on the various technical and financial features of the proposed SME Growth Fund. Basis the feedback received, DEA prepared and shared the Draft Expenditure Finance Committee (EFC) Memorandum with relevant stakeholders for their views/comments and the same were duly received. With the approval of Competent Authority, DEA vide its comm unicated dated 15.06.2026 has shared the Updated EFC Memo along with DEA responses to the Stakeholders' comments with Department of Expenditure for convening the meeting of EFC for appraisal of the GOI commitment of Rs. 10,000 Crore for the proposed SME Growth Fund. Input on VGF - 'The Scheme for Financial Support to Public Private Partnerships in Infrastructure (Viability Gap Funding Scheme) provides targeted financial support to enhance the viability of Public Private Partnerships (PPP) infrastructure projects. The Scheme	Accepted	-

	challenges, including high capital intensity, dependence on imported equipment, and relatively low national R&D expenditure, continue to constrain the outcomes of these high-priority missions. To address these imbalances, the Committee recommend that the Department of Economic Affairs immediately finalize the structural parameters of the SME Growth Fund to ensure an accelerated funding cycle that aligns with the immediate needs of the MSME sector. The Committee further emphasize the need for a strategic shift in Viability Gap Funding (VGF) to prioritize new-age and social infrastructure, ensuring financial support is actively directed toward sustainable projects rather than being purely demand-driven. To restore investor confidence, the Government must strengthen the PPP ecosystem by leveraging GIFT IFSC as a primary hub for global capital and operationalizing the International Dispute Resolution Centre to provide legal certainty. The Committee also recommend intensified procedural de-bottlenecking and the active incentivization of States through non-monetary concessions—such as technical support and streamlined clearances—to ensure that massive capital investments translate into tangible improvements in domestic technological capability and long-term economic resilience.	was revamped in 2020 to enable higher Capex support and also Opex support for eligible social sector PPP projects.' Input on IRGF - An initial meeting was held in Feb'26 to understand the inputs of various Infrastructure Financing entities and banks. Based on the inputs, a short note was shared with various participants. A subsequent meeting was held on 11.5.2026 under the Chairmanship Joint Secretary, DFS to discuss the steps for establishment of an Infrastructure Risk Guarantee Fund (IRGF) and the framework of IRGF. A Working Group was constituted, comprising representatives from NaBFID, State Bank of India, India Infrastructure Finance Company Limited, National Investment and Infrastructure Fund, and HDFC Bank. The working group will provide a detailed concept note, covering various aspects like risks to be covered, type of project/sector to be taken up, level of coverage required, type of guarantees (first loss/ second loss/ portfolio etc.) and the estimated corpus requirement. The working Group has been asked to submit the report by 30.06.2026.		
11.	INCLUSIVE AND SUSTAINABLE GROWTH The Committee note with appreciation the multi-sectoral reforms aimed at fostering inclusive growth, such as the SWAMIH (Special Window for	The Government is aware that declining and fragmented landholdings continue to pose structural challenges to agricultural productivity and economies of scale. To address these structural constraints, the Government has adopted a multi-pronged approach combining policy and technological interventions. As part	Not Accepted: Subject to the clarifications submitted in column 4, the Government	

	Affordable and Mid-Income Housing) Fund's delivery of 61,000 homes and the Code on Social Security's formal recognition of gig workers. The Committee also note that the 2026-27 budgetary strategy exhibits a "capital-intensive bias" that may overlook critical structural gaps. Specifically, the emphasis on high-tech AI skilling appears disconnected from the "digital dropout" trend in secondary education, while the VB-GRAM G (Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin)) Act's expansion to 125 days—despite the 60:40 state- funding friction—runs the risk of becoming a permanent distress safety net rather than a bridge to productive urban migration. Furthermore, in the agricultural sector, while the Digital Agriculture Mission and AgriStack provide technological sophistication, they do not fully mitigate the persistent structural hurdles of land fragmentation and the 25% reliance on non-institutional credit that continues to leave small farmers vulnerable to market volatility. To address these challenges, the Committee recommend that the Department of Economic Affairs move beyond legislative consolidation toward measurable, outcome-oriented implementation of the Care Economy and social security frameworks. This includes ensuring that the mandatory 1-2% aggregator contribution to the Social Security Fund is effectively operationalized to provide portable benefits that actually reach the informal workforce. In education, the Department must ensure that AI modules do not supersede the foundational	of efforts to improve the viability of small and fragmented holdings, the Government has implemented schemes such as the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) and the Crop Diversification Programme to promote crop diversification, increase cropping intensity, and enhance farmers' income. The Government's Digital Agriculture Mission adopts a whole-of-government approach to enhance resilience, productivity, and transparency. At its core, AgriStack functions as a Digital Public Infrastructure by integrating farmer identity, land records, and transactions, enabling data-driven governance, improved targeting of schemes, and better access to institutional credit, while addressing issues such as land fragmentation and outdated land records. Further, integrating the Farmer Registry, georeferenced village maps, and digital crop surveys enables the creation of a unified Farmer ID linked to Aadhaar and land parcels. This facilitates accurate land records and supports seamless delivery of benefits, including DBT schemes such as PM-KISAN, PMFBY, MSP procurement, credit access, input distribution, and disaster relief. As of 04.02.2026, more than 8.48 Crore Farmer IDs have been generated across the country. Further, states are supported to adopt region-specific high-value crops, pulses, oilseeds, and horticultural crops. Schemes such as Soil Health & Fertility (SH&F), Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), National Mission on Edible Oils (NMEO)-Oil Palm, National Mission on Edible Oils (NMEO)-Oilseeds, Mission for Atmanirbharta in Pulses, Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) for organic and sustainable farming, Rainfed Area Development (RAD) to further encourage farmers to adopt climate-resilient, high value and diversified crops¹². Support is also provided to farmers (including small and marginal farmers) through initiatives and programmes of the Government like Interest Subvention Scheme, Sub-Mission on Agricultural	does not agree with the view that capital-intensive bias in the union budget overlooks critical structural gaps. Accepted. AI skilling and strengthening of secondary education infrastructure are being pursued simultaneously as complementary priorities. Not Accepted. Government does not share the concern and considers the programme a demand-driven livelihood support and asset-creation framework. Accepted: Subject to the measures taken for tackling land fragmentation and for enhancing institutional credit as submitted in column 4, the Government	
--	---	--	--	--

¹² Rajya Sabha Unstarred Question no 3856 answered on 27.03.2026.

	strengthening of secondary school infrastructure, particularly broadband connectivity under Bharat Net. For rural and agricultural resilience, the Committee urges the Government to incentivize the Farmer Producer Organisation (FPO) model more aggressively to counter land fragmentation and to conduct a formal fiscal impact assessment of GST (Goods and Services Tax) Reforms 2.0. Such an assessment is vital to determine if the transition to a simplified two-rate structure and the rate cuts on essential goods are effectively stimulating household consumption and supporting MSMEs without creating unsustainable fiscal gaps at the State level.	Mechanization (SMAM), Support to State Extension Programs for Extension Reforms, Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), National Food Security Mission, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) etc¹³. Land and agriculture are state subjects under the Seventh Schedule of the Constitution of India; land falls under the purview of State Governments. Further, the Government of India supplements the efforts of States, through appropriate policy measures and budgetary support¹⁴. The Government of India has been implementing the Central Sector Scheme for Formation and Promotion of 10,000 Farmer-Producer Organisations (FPOs) since 2020 to organise farmers, including small & marginal farmers, into collectives and enable them to enhance their bargaining power, leverage economies of scale, reduce the cost of production and enhance farmers' incomes through aggregation of their agricultural produce. Under the scheme, financial assistance up to Rs. 18.00 lakh per FPO is provided for a period of three years. In addition, a matching equity grant of up to Rs. 2,000 per farmer member, subject to a limit of Rs. 15.00 lakh per FPO and a credit guarantee facility of up to Rs. 2 crore of project loan per FPO is provided to ensure institutional credit accessibility. Further, Rs. 25 lakh is provided to Cluster-Based Business Organizations (CBBOs) for handholding support to each FPO for a period of five years. Presently, 10,000 FPOs have been registered under the said scheme. These initiatives have empowered millions of small & marginal farmers to overcome the limitations of shrinking landholdings by enabling collective farming, input procurement, value addition and better market access.¹⁵	agrees to the challenges identified. Accepted. The recommendation is already being implemented through the Central Sector Scheme for Formation and Promotion of 10,000 FPOs and related support measures. Accepted. The Government is implementing social security measures through the eShram portal and the Social Security Code provisions relating to aggregator contributions. Not Accepted: While no separate assessment has been	
--	---	---	--	--

¹³ Rajya Sabha Unstarred Question no 3856 answered on 27.03.2026.

¹⁴ Rajya Sabha Unstarred Question no 512 answered on 29.11.2024

¹⁵ Rajya Sabha Unstarred Question no 3856 answered on 27.03.2026.

		For enhancing institutional credit to farmers the following measures have been taken by the Government.¹⁶ - The Priority Sector Guidelines of Reserve Bank of India (RBI) issued to banks and Ground Level Agriculture Credit (GLC) Target by the Government to banks act as key policy instruments in scaling up Kisan Credit Card (KCC) coverage and enhancing financial inclusion among farmers. In terms of extant guidelines on Priority Sector Lending (PSL) issued by RBI, Commercial Banks including Regional Rural Banks, Small Finance Banks, Local Area Banks and Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs) other than Salary Earners' Banks are mandated to allocate at least 18% of their Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or Credit Equivalent of Off-Balance Sheet Exposures (CEOBSE), whichever is higher, to agriculture, out of which a sub-target of 10 percent is prescribed for Small and Marginal Farmers (SMFs). Further, the PSL Guidelines also prescribe an incentive framework for districts with comparatively lower flow of credit to priority sector (which also include credit to agriculture and Small & Marginal farmers) and a disincentive framework for districts with comparatively higher flow of priority sector credit for more equitable distribution of the credit flow to agricultural sector. - Since 2019, KCC scheme has been extended to cover working capital requirement of animal husbandry, dairying and fisheries. - The Government of India's Modified Interest Subvention Scheme (MISS) offers short-term agricultural loans to farmers at a concessional interest rate of 7% through Kisan Credit Cards (KCC). Farmers who repay promptly receive an additional 3% incentive, effectively reducing their interest rate to just 4%. - The limit for collateral free short-term agricultural loans, including loans for allied activities, has been raised from Rs.1.60 lakh to Rs.2.00 lakh per borrower by RBI w.e.f.01	conducted by DEA, it is felt that existing economic indicators are considered adequate to gauge the impact of GST reforms.	
--	--	---	---	--

¹⁶ <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246855®=3&lang=2>

		January 2025. This move enhances credit accessibility, particularly for small and marginal farmers (over 86% of the sector), who benefit from reduced borrowing costs and the removal of collateral requirements. v. In order to bring awareness about the benefits of the KCC scheme among farmers, Union/State Governments, RBI, NABARD and Banks conduct various financial Literacy and awareness programmes through Centre for Financial Literacy (CFL), Financial Literacy Camps (FLCs) etc. Besides this, RBI also conducts Financial Literacy Week (FLW) every year to propagate the message of financial education on various themes among members of the public across the country. vi. Kisan Credit Card (KCC) scheme offers features such as an ATM-enabled debit card, one-time documentation, in-built provision for cost escalation in the credit limit, and the flexibility to make multiple withdrawals within the sanctioned limit, among others. vii. The Jan Samarth portal has been started as a one-stop digital platform for linking Government-sponsored loans and subsidies Schemes including Kisan Credit Card. It provides a quick and efficient way to apply for loans and obtain approvals based on a digital evaluation of the applicant's data. NABARD has also introduced e-KCC portal for Regional Rural Banks (RRBs) and Rural Cooperative Banks (RCBs) through which the process of loan application has been digitized, and farmers can submit their applications to RRBs and RCBs without visiting their branches. viii. Further, many banks and financial institutions have developed online platforms and mobile apps for end to end digital processing of loan applications, reducing the need for physical paperwork and in-person visits.		
--	--	---	--	--

		All the above measures have significantly reduced the reliance on non-institutional credit sources from 90 per cent in 1950 to around 25.0 per cent in FY22¹⁷. The Union Government has adopted a balanced approach in the Budget 2026-27, emphasising both infrastructure development and inclusive growth while ensuring fiscal discipline. The Union Government's capital expenditure has seen a more than four-fold increase between 2017–18 and the 2026-27 Budget Estimates. Public expenditure on infrastructure has a high multiplier effect, estimated by studies to be around 2.5 to 3.5 times the GDP over the medium term. This significant increase has led to a qualitative transformation in India's physical infrastructure, generating strong multiplier effects across the economy. Alongside infrastructure, the government has prioritised inclusive development by creating robust social security systems. At the same time, the Government has reinforced its commitment to inclusive development by strengthening social security frameworks. Through a range of programmes implemented either in the form of Centrally Sponsored Schemes or as Central Sector Schemes, it continues to support vulnerable sections and enhance overall citizen well-being. Department of Economic Affairs has not conducted any specific study or assessment of the reduction in GST. However, the reduction in GST rates is expected to provide direct and indirect relief to common people and investors by lowering the tax burden on essential goods and services, thereby improving affordability, reducing cost of living, and supporting household consumption. The rationalisation of rates is also expected to reduce transaction costs, ease compliance, encourage greater formalisation, and widen the tax base. Sector-specific rate reductions are expected to support competitiveness and investment by lowering costs in construction, boosting demand in automobiles, improving access to life-saving drugs and medical devices, and promoting labour-intensive MSMEs		
--	--	--	--	--

¹⁷ Economic survey 2024-25.

		such as toys, handicrafts and man-made fibres. Trends in high-frequency indicators, including higher e-way bill generation, improved Purchasing Managers' Index (PMI) readings for manufacturing and services, record festive-season automobile sales, robust UPI transactions, and increased tractor sales, indicated a strengthening economic momentum, following the implementation of GST reforms <u>VB- G RAM G</u> The expanded 125-day employment guarantee under VB-G RAM G is only an upper ceiling and does not imply compulsory or continuous work. The programme is fully demand-driven, voluntary, and designed for rural households seeking unskilled manual work, so it does not restrict labour mobility or discourage people from migrating to urban areas in search of better livelihood opportunities. Further, the scheme's role as a distress safety net is intentional, as it provides economic stability to households and supports smoother labour transitions. VB-G RAM G is presented as a rural livelihood and asset-creation framework that complements broader economic development; the 60:40 Centre-State sharing pattern is consistent with the centrally sponsored schemes framework, while the 90:10 pattern for North-Eastern and Himalayan States/UTs reflects a differentiated and cooperative federal approach. <u>AI Skilling</u> The Government does not view high-tech AI skilling and strengthening secondary education as competing priorities; rather, they are being pursued in parallel as complementary parts of the same human capital strategy. AI and digital skills are intended to prepare students and youth for emerging job markets, while ongoing efforts to improve secondary school infrastructure, connectivity, and foundational learning aim to prevent digital exclusion and bridge the gap highlighted by dropout concerns.		
--	--	---	--	--

		Accordingly, the Government aims to integrate technology-led skilling with general academic education to enhance students' employability and generate awareness of various career options, enabling them to make choices in accordance with their aptitude, competence, and aspirations. Through convergence across education, skilling, and digital infrastructure initiatives, the focus remains on expanding access, improving retention in secondary schooling, and creating flexible pathways that enable students to acquire both foundational and future-ready skills. At the same time, the Government does not see AI modules and basic education infrastructure as competing priorities. Efforts to expand AI-enabled learning are being pursued alongside continued strengthening of secondary school infrastructure, including digital connectivity, so that technology adoption remains inclusive, equitable, and supportive of foundational learning outcomes. <u>Care Economy and Social Security</u> The Government is committed to moving from policy design to effective implementation of the Care Economy and social security frameworks so that benefits reach intended beneficiaries in a timely and portable manner. The emphasis is on operational readiness, inter-ministerial coordination, and robust delivery systems to ensure that provisions for the informal workforce are translated into meaningful ground-level support. The Government of India has strengthened social security coverage for platform workers through the eShram portal. A simplified self-registration module for platform workers was launched on 12 March 2025, while the aggregator onboarding module was introduced earlier on 12 December 2024. Since then, 19 major platform aggregators, including Zomato, Blinkit, Urban Company, Uber, Amazon, Ola, Swiggy, Rapido, Zepto, Delhivery, Flipkart, Porter, and others have been onboarded. In addition, three nationwide special registration drives have been organised to expand		
--	--	--	--	--

		coverage, and the total number of registrations on the eShram portal has reached 9.98 lakh. Under the Code on Social Security, aggregators are required to contribute to the National Social Security Fund for gig and platform workers. The contribution is set at 1% to 2% of annual turnover, subject to a ceiling of 5% of the amount paid or payable to platform workers. This framework is intended to extend a basic safety net to a rapidly growing segment of the workforce while supporting the formal recognition of platform-based employment. The GST 2.0 reforms, based on the recommendations of the 56th GST Council, represented a citizen-centric and multi-sectoral broad-based rate rationalization exercise to enhance the quality of life of every last citizen. The objective of these rate rationalisation measures was to reduce the tax burden on consumers, enhance affordability, stimulate demand, and support economic growth. Taxable supply value may be regarded as a good proxy of consumption in the economy. The GST rate revisions came into force from 22nd September 2025, hence the outward taxable supply for September-March period have been analysed. Comparing the YoY growth of Taxable supplies in Sep-March, 2026 with YoY growth in Sep-March, 2025, it is evident that most sectors that benefited from GST rate reductions recorded significantly higher growth in FY 2025-26 compared to FY 2024-25. The improvement suggests that lower tax rates may have stimulated demand and expanded the tax base. During September-March 2026, all major identified sectors registered double-digit growth compared to corresponding period last year, with several sectors recording growth above 30%. Consumption-oriented sectors which exhibited robust performance, indicating stronger household demand and improved affordability inter-alia includes manmade textile fibers and filaments, textile apparels, footwear, leather article, electric machinery and electronic appliances, passenger cars, two-wheelers& bicycle, prepared food stuff etc. However, it may be noted that the sector-wise taxable value as provided by GSTN is not directly available and have been calculated by GSTN using		
--	--	---	--	--

		indirect method under certain assumptions. Overall, the observed growth trends suggest that the GST rate reductions have had a positive impact on both production and consumption. The expansion of manufacturing activities has been accompanied by higher household consumption, indicating an improvement in economic momentum. The reduction in GST rates on selected goods and services is expected to have improved affordability and supported consumption, particularly in sectors with significant MSME participation. This, in turn, is likely to have strengthened market demand, enhanced business activity among micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and facilitated broader sectoral growth and economic expansion.		
12.	MACROECONOMIC ISSUES The Committee note that the Union Finance Minister during the presentation of the Budget emphasised three guiding Kartavyas for economic policy accelerating and sustaining economic growth through enhanced productivity and resilience to global volatility; fulfilling the aspirations of people by strengthening their capabilities as partners in India's development; and ensuring inclusive access to resources, amenities and opportunities for every family, community, region and sector in line with the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas. Against this backdrop, the Committee note with serious concern the potential for a "Triple Whammy" of surging crude prices, market volatility, and maritime delays arising from the West Asian conflict. Based on the scenario analysis provided by the Chief Economic Adviser, while a real GDP growth of 7% to 7.4% and inflation around 2% remain feasible at oil prices up to \$90 per barrel, an escalation toward \$130 per barrel could severely destabilize the fiscal deficit target of 4.3% to 4.4%. Furthermore, the Committee expresses apprehension	As the evolving West Asia conflict begins to exert pressure on economic activity, it may have fiscal implications during 2026-27. Notwithstanding these emerging headwinds, the Central government enters the fiscal year from a position of relative prudence. The fiscal consolidation path adhered to in recent years, coupled with the Budget's conservative assumption of a gross tax revenue buoyancy of 0.8, which is below the historical average, and the creation of an Economic Stabilisation Fund in the public account, provides room for fiscal interventions. The latter specifically offers flexibility to absorb near-term shocks of mild intensity without immediately deviating from the fiscal deficit target. However, the fiscal space at the Union level must be complemented by a sound and sustainable fiscal position at the State level, given the States' critical role in aggregate public expenditure. The Economic Survey 2025-26 noted that the combined fiscal deficit of State Governments, as a proportion of GDP, has gradually edged up over the past three years, reflecting emerging pressures on State finances. The aggregate State-level fiscal landscape for 2026-27 reinforces this concern. Among the 18 states analysed in the Department of Economic Affairs' Monthly Economic Review for April 2026, nine states out of these 18 states have projected a revenue deficit for 2026-27, while ten states are expected to exceed the 3.0 per cent fiscal deficit threshold. The Economic Survey 2025-26 also highlighted a structural shift in the composition of States' revenue expenditure, with a growing	Partially Accepted. Government recognises the risk and has fiscal stabilisation mechanisms and policy flexibility to address external shocks, though no separate framework has been proposed. Accepted. Government is already implementing the National Critical Mineral Mission and related measures for	

	regarding the global slowdown in Foreign Direct Investment (FDI). The Committee observe that while India's FDI as a percentage of GDP remained stable at approximately 2.2% during 2014–2023—outperforming the global average of 2.1%—the recent tightening of global liquidity and geopolitical shifts necessitate a more aggressive strategy to attract "China Plus One" investment flows into high-value manufacturing and frontier technology sectors. The Committee further observe a landmark shift in fiscal federalism as the Sixteenth Finance Commission has recommended zero Revenue Deficit Grants (RDGs) for the 2026–31 award period. This decision stems from the observation that RDGs have historically "softened fiscal discipline" and embedded dependency rather than resilience, failing to nudge States toward rationalizing subsidies or improving tax administration. Specifically, the Committee concern about the risks of Fiscal Populism at the State level, where the expansion of non-merit subsidies and "Off-Budget Borrowings" (OBBs) has historically been used to circumvent debt limits. The Committee note that since Financial Year 2021-22, OBBs where the State bears the principal or interest are strictly treated as State debt under Article 293(3) to ensure transparency and curb the distortion of fiscal deficit reporting. To ensure long-term stability, the Committee recommend that the Department of Economic Affairs develop a Strategic Energy Mitigation Framework to protect the economy from oil	share allocated to unconditional cash transfers and other committed expenditures. As these transfers absorb a rising share of available fiscal space, the scope for expanding productive capital expenditure becomes increasingly constrained, especially in an environment of limited revenues and elevated deficits. In view of the above, the 16th Finance Commission's recommendation of discontinuing revenue deficit grants will be important to nudge the States for own-revenue mobilisation. Targeted initiatives such as the India Semiconductor Mission are also aimed at promoting investments in high-value manufacturing and frontier technology sectors. The Government announced the launch of India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 in Union Budget 2026–27, aimed at deepening India's semiconductor ecosystem and strengthening its position in global value chains.¹⁸ The Union Budget 2026–27 also proposed the launch of Biopharma SHAKTI, a dedicated national initiative with an outlay of ₹10,000 crores over five years, aimed at strengthening India's end-to-end ecosystem for biologics and biosimilars.¹⁹ The Government has also established the Anusandhan National Research Foundation (ANRF) under the ANRF Act, 2023 to provide strategic direction and competitive funding for research and innovation, with a focus on fostering collaboration among academia, industry and government. The Research, Development and Innovation (RDI) Scheme launched in November 2025, with a total outlay of ₹1 lakh crore over six years, also aims to catalyse greater private sector investment in R&D in sunrise and strategic sectors. Overall, these measures are directed towards positioning India as a competitive destination within global value chains and attracting investments into high-value manufacturing and frontier technology sectors. Critical minerals are essential for economic growth, clean energy transition, and advanced manufacturing. Recognising their strategic	supply-chain diversification and domestic value addition as submitted in column 4. Accepted. Multiple reforms are already under implementation as submitted in column 4, including review of FEMA (NDI) Rules. Accepted. Government supports fiscal discipline and notes the importance of the 16th Finance Commission's recommendations in encouraging own-revenue mobilisation.	
--	--	---	---	--

¹⁸ <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221522&lang=1®=3&utm>

¹⁹ <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=157147&ModuleId=3®=3&lang=1>

	shocks exceeding the \$90 threshold. In addition, the Committee emphasize that the rapidly evolving global competition for critical minerals and rare earth elements, which are essential for semiconductors, renewable energy systems, electric mobility, defence technologies, and the development of alternative fuels, requires a coordinated national strategy. The Committee, therefore, recommend that the Government accelerate efforts to secure diversified international supply chains for critical minerals such as lithium, cobalt, and rare earth elements, while simultaneously strengthening domestic exploration, processing, and value-addition capabilities to support emerging sectors including renewable energy, electric mobility, and alternative fuel technologies. Regarding investment, the Department must streamline the FDI regulatory framework to counter the global downward trend and ensure India remains a preferred destination for long-term institutional capital. The framework should incorporate sector-specific incentives, including single-window approvals, fast-track clearances for high-value manufacturing and frontier technology projects, and targeted R&D-linked fiscal benefits, to attract and retain institutional investors despite global volatility. Most critically, the Committee recommend that the Department facilitate a "Structural Reform Bridge" to help States transition away from RDGs. This must include a rigorous mechanism to discourage fiscal populism by linking	importance, the Government amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act in 2023 to notify 24 minerals as critical and strategic, while enabling greater private participation in exploration and mining. A mission-mode approach has been adopted through the National Critical Mineral Mission (NCMM) to strengthen domestic capabilities across the value chain—exploration, mining, processing and recycling.²⁰ Key measures include auction of critical mineral blocks²¹, intensified exploration, and overseas asset acquisition through Khanij Bidesh India Limited (KABIL). Policy support is also being extended to develop a domestic rare earth ecosystem, including the ₹7,280 crore Rare Earth Permanent Magnet (REPM) Manufacturing Scheme. Further, the Union Budget 2026–27 has announced development of dedicated Rare Earth Corridors in mineral-rich States such as Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to promote integrated mining, processing, research and manufacturing, thereby strengthening domestic value chains and reducing import dependence. In parallel, India is strengthening international cooperation through bilateral partnerships with mineral-rich countries and participation in multilateral initiatives such as the Minerals Security Partnership (MSP) and Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) to ensure resilient and diversified critical mineral supply chains.²² India is one of the world's fastest-growing major economy and is among one of the most attractive investment destinations over the period of time. Since 2014, the Government of India has undertaken a series of structural reforms and policy initiatives aimed at enhancing the country's investment climate and making it an attractive destination for both domestic and outperforming the global foreign investors. Some of key reforms are as under: (viii) The Government of India launched the Make in India initiative in September 2014 to promote investment,		
--	---	--	--	--

²⁰ <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NotelId=157165&lang=1®=3&utm>

²¹ <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2243514&lang=1®=1&utm>

²² <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NotelId=157165&lang=1®=3&utm>

	"Special Assistance for Capital Investment" to the successful rationalization of revenue expenditure. By enforcing strict adherence to OBB reporting and promoting fiscal prudence, the Government can ensure that the transition to a post-RDG era strengthens the internal economic fabric of the nation.	foster innovation, build world-class infrastructure, and position India as a global hub for manufacturing, design, and innovation. Make in India 2.0 currently focuses on 27 sectors (including 15 manufacturing sectors) and is being implemented across Ministries, Departments, and States. Key initiatives include Start-up India, National Single Window System, GIS-enabled Industrial Land Bank, FDI policy reforms, PM Gati Shakti National Master Plan, Project Monitoring Group, Bharat Audyogik Vikas Yojana (BHAVYA) for the development of plug-and-play industrial parks , National Logistics Policy, National Industrial Corridor Development Programme, , and measures to improve ease of doing business and reduce compliance burden. (ix) As part of Make in India initiative, the Production Linked Incentive (PLI) schemes have been implemented across 14 key sectors, namely Large-Scale Electronics Manufacturing (LSEM), IT Hardware, Pharmaceuticals, Bulk Drugs, Medical Devices, Automobiles and Auto Components, Advanced Chemistry Cell Batteries, Solar PV modules, Telecom & Networking Products, Food Processing, Textiles, Specialty Steel, White Goods, Drones & Drone Components by incentivizing incremental production and sales,. The PLI schemes have facilitated fresh investments in the identified sectors and supported the expansion of manufacturing capacities. The PLI schemes have generated investments exceeding ₹2.16 lakh crore, leading to incremental production and sales of over ₹20.41 lakh crore as of 31st December 2025. (x) To promote investment Government has recently reviewed the FDI Policy on Investments from Countries Sharing Land border with India and Press Note 2 of 2026 series has been issued by DPIIT, providing clearer norms on beneficial ownership and time-bound approvals (within 60 days) in specified sectors/activities of manufacturing in capital goods, electronic capital		
--	---	---	--	--

		goods, electronic components, polysilicon and ingot-wafer. The amendments in the FDI Policy aim enhancing investor confidence and facilitating greater capital inflows, including in startups and deep-tech sectors. (xi) To promote Foreign Direct Investment (FDI), the Government has put in place an investor friendly policy, wherein most sectors except certain strategically important sectors are open for 100% FDI under automatic route. (xii) India continues to open up its sectors to global investors by raising FDI limits, removing regulatory barriers for attracting increased investments, in addition to developing infrastructure and improving the business environment. For instance, the Union Budget 2025 announced for further increase of FDI sectoral cap for the insurance sector from 74% to 100%. (xiii) From the Ease of Doing Business perspective, in the Union Budget 2025-26, the Government has announced that Individual Persons Resident Outside India (PROI) are permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. Further, it has announced to increase the investment limit for an individual PROI under this scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24%, from the current 10%. Vide Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Third amendment Rules, 2026, the budget announcement has been implemented. (xiv) In the Union Budget 2026-27 Government has announced to have a comprehensive review of Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments, consistent with India's evolving economic priorities. A multi-stakeholder internal committee for review of the		
--	--	--	--	--

		NDI Rules has been constituted with representation from DEA, DPIIT and RBI. DPIIT is the nodal department for all policy related matter on FDI and also handles matters related to Foreign Direct Investment (FDI) and undertakes promotion of direct foreign and non-resident investment. The National Single Window System (NSWS), a digital platform, developed by the DPIIT is in place to apply FDI proposal on the portal, seeking government approval.		
13.	Amidst the fiscal adjustments, the Committee also note persistent institutional hurdles at the Securities Appellate Tribunal (SAT) in Mumbai, where the non-availability of Type VIII government accommodation significantly hampers the recruitment of high-level judicial and technical members. The Committee observe, as informed by the Ministry, that the current reliance on “special case” rent-free arrangements and the allocation of Technical Members to lower-tier Type VI quarters is inadequate for a tribunal of SAT’s stature. Consequently, the Committee recommend that the Department formalize a permanent housing solution including the potential for hiring or constructing dedicated quarters that provides residential accommodation strictly commensurate with the status of the Presiding Officer and Members as per the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021.	To formalize a permanent housing arrangement for the Presiding Officer and the Members of the Securities Appellate Tribunal (SAT), Department of Economic Affairs (DEA) has requested the Directorate of Estates, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), to examine the feasibility of providing Government accommodation (Type VIII) in Mumbai, in accordance with the entitlement of the Presiding Officer and Members in accordance with the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021. Also, DEA has requested MoHUA to explore the possibility of getting appropriate accommodation, commensurate with the official status of the Presiding officer and the Members of the SAT, from the State Government of Maharashtra. The inputs are awaited in the matter.	Accepted	

Indian Audit and Accounts Department

Appendix-A

i. MH: 4059- Capital outlay on Public Works

Sl.	Proposal/ Name of work	Demand for RE 2026-27 / BE 2027-28	Progress till date
1.	Re-development of Old CAG Building at 10, BSZ New Delhi with FAR 500.	RCE (Rough Cost estimate) – ₹ 400.00 cr. (₹5.00 cr. additional in RE 2026-27 and ₹100.00 cr. in BE 2027-28).	Approval accorded by Competent Authority on 22.05.2026.
2.	C/o New Office Building at Cotton Greens, Mumbai. ₹350 cr.	RCE- ₹ 350.00 cr. (₹5.00 cr. additional in RE 2026-27 and ₹100.00 cr. in BE 2027-28).	AA&ES of ₹5,62,04,000/- issued on 23.06.2026 for Consultancy Services for C/o New Office and AA&ES of ₹19.54 lakh issued on 23.06.2026 for Temporary Fencing, Leveling and dressing of the land. Pre- tendering activity has been commenced. Accordingly, ₹1,68,61,000/- and ₹ 19.84 lakh respectively have been released for the works.
3.	C/o Office Building at Amaravati. ₹ 350 cr.	RCE- ₹350.00 cr. (₹5.00 cr. additional in RE 2026-27 and ₹100.00 cr. in BE 2027-28).	AA&ES of ₹5,63,90,000/- issued 29.06.2026 for Comprehensive Consultancy Services estimate. Accordingly, ₹1,69,00,000/- has been released for the work.
4.	C/o CoEFA Building at Hyderabad.	RCE- ₹ 200.00 cr. (₹.5.00 cr. additional in RE 2026-27 and ₹100.00 cr. in BE 2027-28).	Govt. of Telangana has allotted 10 acres of land at free of cost at Shamshabad, Hyderabad exclusively for establishing CoEFA as per Memo dated 23.04.2026. Land possession taken in the 1 st week of June 26. Requisitions sent to CPWD for the enabling estimate (temporary fencing, survey plan, soil-investigation report). Temporary fencing proposed in place of the boundary wall. Master Plan is being prepared

5.	C/o 100 bedded Boys and Girls Hostel at CAG Sports Complex at Ranchi.	RCE- ₹ 17.00 cr. (₹5.00 cr. additional in RE 2026-27 and ₹12.00 cr. in BE 2027-28).	Proposal amounting to ₹21,86,30,000/- (rough Cost estimate) has been received at headquarters on 12.05.2026 which is under process of approval by Competent Financial Authority.
6.	Works pertaining to Upgradation, Renovation, Major Repairs/services etc. acr.oss IA&AD Offices pan India. (₹93.00 cr.)	₹3 cr. additional in RE 2026-27 and Rs.90.00 cr. in BE 2027-28.	Out of total allocated budget of ₹ 16 crore, funds of ₹ 13.90 crore have already been allotted so far (i.e. within the 1 st quarter of current FY). Various works are under examination, and a number of additional works are likely to be taken up during the remaining period of the financial year. Therefore, availability of requisite funds is essential.
		₹1410.00 cr. (RE 2026-27- ₹44.00 cr. and BE 2027-28- ₹502.00 cr. and remaining amount in subsequent years.	

ii. MH: 4216- Capital outlay on Housing

Sl.	Proposal	Demand for RE 2026-27/ BE 2027-28	Progress till date
1	C/o Residential Quarters at Bhandup (Phase-II) Mumbai.	RCE- ₹100.00 cr. (Rs.5.00 cr. additional in RE 2026-27 and ₹50.00 cr. in BE 2027-28).	The proposal for phase-II has been received at HQ on 24.06.2026 for approval. The same is being processed.
2	Construction of Residential complex at Amaravati.	₹106.34 cr. (₹6.34 cr. additional in RE 2026-27) and ₹100.00 cr. in BE 2027-28).	The Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh has been addressed for allotment of land on 04.06.2026 against the amount already paid. Matter is being pursued.
3	C/o 25 nos. Type-V Quarters at iCISA, Noida. ₹ 50 cr.	RCE- ₹ 50.00 cr. (₹ 5.00 cr. additional in RE 2026-27 and ₹45.00 cr. in BE 2027-28).	A revised FAR of 150 has been taken up with the Noida Authority, at no extra cost, to permit construction of additional quarters. The Noida Authority has approved the revised FAR on a no-cost basis in May 26. The architecture-consultancy tender is under process.
4	Redevelopment of residential Complex at Yosufguda, Hyderabad (SH: 40 nos. Type-III and 60 nos. Type-IV).	RCE- ₹100.00 cr. (₹5.00 cr. additional in RE 2026-27 and ₹50.00 cr. in BE 2027-28).	Master Plan of the residential Complex is being prepared. Demolition proposal for 352 no. Type-B and 40 nos. Type-A quarters is under process for approval.
5	Redevelopment of Old AG Colony, Bhubaneswar (SH: C/o 84 nos. Type-IV qtrs. and other facilities).	₹122.00 cr. (₹5.00 cr. additional in RE 2026-27 and ₹100.00 cr. in BE 2027-28).	Proposal amounting ₹122 cr. (RCE) has been received at HQ on 19.01.2026 for approval and in process.
6	Acquisition of land for HoDs & GOs residential units in Chandigarh.	RCE- ₹37 cr. in RE 2026-27.	Estate Manager vide letter dated 02.06.2025 requested The Secretary (Estates), Chandigarh to provide detailed information regarding availability and status of land in Sector 42 C, Chandigarh. Matter is being pursued.
7	Acquisition of land for residential complex at Itanagar, Arunachal Pradesh.	RCE- ₹ 30.00 cr. in BE 2027-28.	Residential land acquisition proposal is under process. State Government has offered 7,133 sq. m. of land.

			CPWD has been requested on 28.04.2026 to conduct soil investigation and assess construction feasibility. A P.E. of ~₹5.00 lakh is being forwarded by the field office.
8	Acquisition of residential land for HoDs/GOs in Bengaluru.	RCE- ₹ 150.00 cr. in BE 2027-28.	At present, Estate Manager is actively exploring land. Matter is being pursued.
9	Acquisition/purchase of land/residential units for HoDs and GOs at Shimla.	RCE- ₹1 cr. (Token amount) in BE 2027-28.	Chief Secretary (Govt. of HP) has been addressed on 13/06/2025 to approve early transfer of identified land or such alternate site as govt. deemed fit. The same is being pursued.
10	C/o Residential units at AG Office Complex, Chennai.	RCE- ₹50.00 cr. in BE 2027-28.	Estate Manager is actively exploring availability of land.
11	Works pertaining to Upgradation, Renovation, Major Repairs/services etc. across IA&AD Residential premises pan India (₹73.00 cr.).	₹3 cr. additional in RE 2026-27 and ₹70.00 cr. in BE 2027-28.	Out of total allocated budget of ₹ 9 cr. funds of ₹ 4.51 cr. has already been allotted so far (i.e. within the 1 st quarter of current FY). Various works are under examination, and a number of additional works are likely to be taken up during the remaining period of the financial year. Therefore, availability of requisite funds is essential.
		₹819.34 cr. (RE 2026-27- ₹75.34 cr. and BE 2027-28- ₹646.00 cr. and remaining amount in subsequent years.	